द्वितीय पंचवर्षीय योजना

प्रश्न
और
उत्तर

पब्लिकेशन्स डिवीज़न
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

35MofI&B—1

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ

अध्याय १

सामान्य परिचय

प्रश्न—मोटे तौर पर पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या अन्तर है ?

उत्तर—पहली पंचवर्षीय योजना में देश की भावी समृद्धि की नींव रखी गई थी। तब हमारे साधन सीमित थे, इसलिए लक्ष्य बहुत ऊंचे नहीं रखे गए थे। उस समय गांवों में कृषि और अन्य विकास कार्यक्रम, रेलवे प्रणाली का पुनर्स्थापन, शरणार्थियों को बसाने की समस्याएं आदि ही प्रधान थीं। अतः उन्हीं की ओर विशेष ध्यान दिया गया था।

दूसरी पंचवर्षीय योजना देश के विकास के लिए आरम्भ किए गए प्रयत्नों की ही दूसरी कड़ी है। पहली योजना की अपेक्षा दूसरी योजना पर दुगने से भी ज्यादा खर्च किया जाएगा, इसलिए विकास भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से होगा। इसके अतिरिक्त, दूसरी योजना में कृषि के स्थान पर उद्योगों, खानों और परिवहन पर अधिक जोर दिया गया है। पहली योजना में इन कामों पर कुल धन का तिहाई भाग खर्च किया गया था परन्तु अब लगभग आधी धनराशि इन्हीं के लिए निर्धारित कर दी गई है। पहली योजना में राष्ट्रीय आय में १० प्रतिशत तक की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु दूसरी योजना में यह लक्ष्य २५ प्रतिशत रखा गया है।

प्रश्न—कहा जाता है कि दूसरी योजना का लक्ष्य समाजवादी समाज का निर्माण करना है। कल्याणकारी राज्य और समाजवादी समाज में क्या अन्तर है?

उत्तर—जीविका के समान अवसर, सामाजिक न्याय, काम करने और निर्वाह योग्य मजूरी पाने का अधिकार आदि बातो के आधार पर देश म आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कायम करना ही हमारे संविधान का उद्देश्य है। ये सभी आदर्श कल्याणकारी राज्य की धारणा के अग है। समाजवादी समाज वास्तव में इसी बात का कहने का दूसरा और अधिक सही तरीका है। इसका अर्थ यही है कि देश की अर्थ-व्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर पूरे समाज का लाभ हो। दूसरे शब्दो मे, जहा योजना का लक्ष्य देश के उत्पादन में वृद्धि करना है वहा उसका प्रयास यह भी है कि जो धन बढे वह अमीरो की जेबो में ही न जाकर समाज के निर्धन और हतभाग लोगो के जीवन को ऊचा उठाने मे लग सके।

प्रश्न—दूसरी पचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या है?

उत्तर—सक्षेप में दूसरी योजना के उद्देश्य निम्नलिखित है

(क) तीव्र गति से औद्योगीकरण करना जिससे राष्ट्र की सम्पत्ति में वृद्धि हो सके,

(ख) राष्ट्र की आय में वृद्धि करना जिससे जन-साधारण का जीवन स्तर ऊचा उठ सके

(ग) रोजगार के अवसरो मे व्यापक विस्तार करना, और

(घ) आय और सम्पत्ति के असमान बटवारे को कम करना।

स्पष्ट है कि दूसरे और तीसरे उद्देश्य पहले उद्देश्य के ही परिणाम है। यदि देश का औद्योगिक उत्पादन बढेगा तो स्वत ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होगे। आय और सम्पत्ति

के असमान बटवारे को कम कर देने से बढ़े हुए उत्पादन से जो लाभ होगा, उसका उपयोग जन-साधारण का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में किया जाएगा।

प्रश्न—आय और सम्पत्ति की विषमता को दूर करने के लिए कौन-से कदम उठाए जाएगें?

उत्तर—सम्पत्ति को कुछ लोगों के हाथों में ही जाने से रोकने के लिए योजना में जो मुख्य प्रस्ताव रखे गए है, वे इस प्रकार है

(क) उद्योगों के सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए १९४८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में कुछ सुधार कर दिए गए हैं।

(ख) योजना मे कृषि की पैदावार, हाट-व्यवस्था, ऋण-व्यवस्था और छोटे उद्योगो के उत्पादन के लिए सहकारिता का बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है।

(ग) नए कर, जैसे आय के बजाय खर्च के आधार पर कर, सम्पत्ति पर वार्षिक कर आदि कुछ तरीके धन के विषम बटवारे को एक निश्चित अवधि मे कम करने के लिए काम मे लाए जाएगे।

(घ) पहली योजना में निजी क्षेत्र पर राज्य के अधिक नियन्त्रण के लिए जो कदम उठाए गए थे—जैसे जमीदारी उन्मूलन *मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली में सुधार, कम्पनी अधिनियम* म सशोधन और इम्पीरियल बैंक आफ इडिया का राष्ट्रीयकरण करना आदि—उनकी प्रशसा हुई है और आशा है कि दूसरी योजना में इस दिशा मे और भी अधिक काम होगा।

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त उद्देश्य से जनवरी १९५६ मे जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

प्रश्न—भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है ?

उत्तर—योजना के आरम्भ में अनुमान लगाया गया था कि भारत में लगभग ५० लाख लोग बेरोजगार हैं। और यह मानते हुए कि काम करने वालों की संख्या में प्रति वर्ष २० लाख की वृद्धि हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि १९६०-६१ तक करीब १ करोड़ ५० लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरे समय के रोजगार की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त शहरों और देहातों दोनों क्षेत्रों में कृषि कार्यों और घरेलू धंधों में लोगों को थोड़ी-बहुत मात्रा में काम मिलता रहता है।

प्रश्न—शहरी और देहाती क्षेत्रों में जो बेरोजगारी फैली हुई है उसको दूर करने के लिए योजना अवधि में क्या तरीके अपनाए जाएंगे ?

उत्तर—सिंचाई कार्यक्रमों, बिजलीघरों, सड़कों बागवानी और जमीन को खेती योग्य बनाने की योजनाओं तथा अन्य कामों, विशेष रूप से राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत आने वाले कामों से देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारी काफी सीमा तक कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, योजना में गृह उद्योगों तथा छोटे उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए २०० करोड़ रुपया रखा गया है, क्योंकि इनमें बहुत-से लोगों को रोजगार मिलता है। पहली योजना में इसके लिए केवल ५० करोड़ रुपया रखा गया था। उत्पादन के तरीकों में सुधार करने और ठीक प्रबन्ध करने से आशा है कि इन उद्योगों से पांच वर्षों के अन्दर होने वाली उपभोग्य वस्तुओं की अतिरिक्त मांग काफी सीमा तक पूरी हो जाएगी। अनुमान है कि मूल उद्योगों पर जो बड़े पैमाने में धन लगाया जाएगा और स्वास्थ्य, शिक्षा, शोध, समाज कल्याण आदि पर अधिक व्यय किया जाएगा, उससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शहरों में रोजगार के और मार्ग खुल जाएंगे। अनुमान है कि इन नए कार्यक्रमों के फलस्वरूप कुल मिलाकर ६० लाख से १ करोड़ तक लोगों को रोजगार मिल जाएगा।

प्रश्न—शिक्षित वर्गों में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर—चूंकि प्रथम योजनाकाल में देहाती क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर अधिक जोर दिया गया था, इसलिए शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का बहुत अधिक प्रबन्ध नहीं किया जा सका था। ऐसा तभी हो सकता है यदि उद्योगों का विस्तार अधिक तेजी से होने लगे। अनुमान है कि दूसरी योजना की अवधि में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रम में और अवकाश-प्राप्त व्यक्तियों के रिक्त स्थानों से लगभग १५ लाख लोगों को काम मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त, छोटे उद्योगों में और सहकारी माल परिवहन में भी इन लोगों को रोजगार दिलाने का विचार है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने से और नवयुवकों में शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा जाग्रत करने से भी कुछ सीमा तक लोगों को रोजगार मिल सकता है।

प्रश्न—योजना आयोग ने योजना को लचीली योजना कहा है। इसका क्या तात्पर्य है ?

उत्तर—योजना बनाते समय योजना आयोग ने देश की आवश्यकताओं और साधनों को बड़ी व्यापक दृष्टि से देखा था। अनुमान है कि हर वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों में जो प्रगति होगी उसे देखते हुए प्राथमिकताओं में फेर-बदल किए जाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध साधनों और पिछली वार्षिक योजना बनने के बाद उत्पन्न होने वाली नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी योजना में परिवर्तन किए जा सकते हैं। यही कारण है कि दूसरी पञ्चवर्षीय योजना को लचीली योजना कहा गया है।

प्रश्न—योजना को 'जनता की योजना' क्यो कहा जाता है ?

उत्तर—इसके तीन मुख्य कारण है एक तो योजना का लक्ष्य समाजवादी समाज बनाने का है और उससे जन-साधारण को ही लाभ पहुचेगा। दूसरे, योजना को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व उस पर देश में खूब विचार-विनिमय हुआ था और योजना के बनाए जाने मे देश की जनता ने अपने प्रतिनिधियो के माध्यम से हिस्सा लिया था। तीसरे, योजना को सफल बनाने के लिए जनता की सहायता की बहुत बडी आवश्यकता है। जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए बहुत-से कार्यक्रम बनाए गए है, जिनमे से सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्थानीय निर्माण कार्यक्रम और अल्प बचत आन्दोलन मुख्य है।

प्रश्न—स्थानीय निर्माण कार्यक्रम किसे कहते है ?

उत्तर—योजना के अन्तर्गत अधिकतर बडी विकास योजनाए ही आती है जिनमें आम आदमी को सीधे कोई दिलचस्पी नही होती। योजना और देश की जनता को एक-दूसरे के करीब लाने और गावो के निवासियो की शक्ति का पूर्ण उपयोग करने के लिए पहली योजना में स्थानीय निर्माण कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे। इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत छोटे निर्माण कार्य किए गए जिनमे से हरेक की लागत अधिक से अधिक २०,००० रुपया आती थी और जिनसे लोगो को स्थायी लाभ पहुचता था। इनके खर्चे का आधा भाग जनता ने स्वय नक्द धन या सामान आदि देकर अथवा अपने परिश्रम द्वारा उठाया। गाव की सडके, स्कूलो और दवाखानो की इमारतो की मरम्मत तथा खेती की उन्नति के लिए कुछ बाध, कुए आदि बनाने के काम इन कार्यक्रमो के कुछ उदाहरण है।

जिन क्षेत्रो में अभी तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ नही किए जा सके है, वहा इस कार्यक्रम का विशेष महत्व है। एक तरह से इसमे

राष्ट्रीय विस्तार सेवा की पृष्ठभूमि तैयार होती है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा बडी तेजी से प्रगति कर रही है, और आशा है कि योजना के अन्त तक देश के सभी भागो में पहुच जाएगी।

प्रश्न—योजना के अनुसार देहाती क्षेत्रो के पुनर्निर्माण में पंचायतो का क्या स्थान है ?

उत्तर—योजना आयोग ने सिफारिश की है कि जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्यो के विकास कार्यक्रमो को जिला, ताल्लुका और गाव के कामो में बाट दिया जाए। गावो मे ये पचायते कल्याण कार्य, भूमि सुधार, भूमि प्रबन्ध, स्थानीय विकास कार्य तथा अन्य विकास कार्यक्रमो को पूरा करने के लिए बुनियादी संस्थाओं का काम देंगी। इन्हें क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त प्रत्येक सम्भव उपाय किया जा रहा है।

प्रश्न—योजना की सफलता के लिए जनता के सहयोग के अतिरिक्त, अन्य किन बातो की आवश्यकता है ?

उत्तर—मुख्य आवश्यकताए ये है

(१) विश्व युद्ध न हो तथा देश मे बदअमनी न फैले।

(२) केन्द्र तथा राज्य सरकारो के बीच घनिष्ठ सहयोग हो।

(३) सुचारु रूप से काम करने वाली ऐसी प्रशासन व्यवस्था बनाई जाए जिसके द्वारा योजना के आर्थिक कार्यक्रम तथा सामाजिक उद्देश्य पूरे किए जा सकें।

प्रश्न—प्रशासन सम्बन्धी मुख्य कार्य कौन-से है जिन्हें पूरा करना है ?

उत्तर—मुख्य कार्य ये है —

(१) भ्रष्टाचार को उखाड फेकना है।

(२) प्रशासनिक और टेकनीकल सवर्ग बनाए जाने हैं।
(३) प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए जाने हैं।
(४) कामों को जल्दी और मितव्ययिता के साथ पूरा करना है।
(५) सार्वजनिक उद्योगों की ठीक ढग से व्यवस्था करनी है।
(६) कृषि, सामुदायिक विकास, कुटीर और छोटे उद्योगों के लिए टेक्नीकल, आर्थिक तथा अन्य सहायता दी जानी है।
(७) विकास कार्यों पर होने वाले खर्च का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करना है।
(८) सहकारी क्षेत्र को पुष्ट करना है।

प्रश्न—क्या इस योजना के बाद भी पचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता पड़ेगी ?

उत्तर—विकास का क्रम एक अटूट क्रम है। दूसरी योजना उन्नति के पथ पर हमारा दूसरा चरण है। भविष्य में और भी योजनाए बनाई जाएगी।

अध्याय २

वित्त

प्रश्न—योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ४,८०० करोड रुपया रखा गया है। यह धनराशि बहुत बडी है। इसे जुटाने का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाएगा ?

उत्तर—इस धन का प्रबन्ध निम्न तरीके से होगा

		(करोड रुपयो में)
१ देशी साधन		
(क) चालू राजस्व मे से बची हुई राशि		८००
(अ) कर की वर्तमान दरो के अनुसार	३५०	
(ब) अतिरिक्त करो द्वारा	४५०	
(ख) जनता से ऋण		१,२००
(अ) बाजार ऋण	७००	
(ब) छोटी बचतें	५००	
(ग) बजट के दूसरे साधन		६००
(अ) विकास कार्यक्रमो के लिए रेलवे का अंशदान	१५०	
(ब) भविष्य निधियां (प्राविडेंट फंड) और दूसरी जमा रकमें	२५०	
२ कोलम्बो योजना के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से और अमरीका तथा रूस जैसे देशो से सहायता		८००

३. घाटे की अर्थ-व्यवस्था	१,२००
४ कमी को पूरा करने के लिए साधनों को उपलब्ध करने के लिए अतिरिक्त उपाय	४००
जोड़	४,८००

यह योजना की एक मोटी रूपरेखा है। वैसे आर्थिक स्थिति के अनुसार उसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहेंगे।

प्रश्न—उपर्युक्त ४,८०० करोड़ रुपया विकास के मुख्य कार्यों पर किस प्रकार व्यय किया जाएगा और पहली योजना से इसमें क्या अन्तर होगा ?

उत्तर—इस धनराशि का वितरण निम्न प्रकार से होगा। इसके साथ ही पहली योजना का व्यय भी दिया जा रहा है

	(करोड़ रुपयों में)	
	दूसरी योजना	पहली योजना
कृषि और सामुदायिक विकास	५६८	३५७
सिंचाई और बिजली	९१३	६६१
उद्योग और खानें	८९०	१७९
परिवहन और संचार	१,३८५	५५७
समाज सेवाएं	९४५	५३३
अन्य	९९	६९
जोड़	४,८००	२,३५६

प्रश्न—निजी क्षेत्र में कितना व्यय किया जाएगा ?

उत्तर—निजी क्षेत्र में व्यय का अनुमान २,४०० करोड़ रुपए के आस-पास है। विभिन्न कार्यों पर इसका स्थूल विभाजन इस प्रकार होगा :

	(करोड़ रुपयों में)
१ संगठित उद्योग और खानें	५७५
२ बागान, बिजली संस्थान, और रेलों के अतिरिक्त अन्य परिवहन	१२५
३ खेती और ग्रामोद्योग तथा छोटे उद्योग	३००
४ निर्माण कार्य	१०००
५ स्टाक	४००
जोड़	२,४००

प्रश्न—घाटे की अर्थ-व्यवस्था किसे कहते हैं ?

उत्तर—सरकार को करों, राज्यीय उद्योगों की आय जनता से ऋण, जमा धनराशियों और निधियों आदि से जो आय होती है उसके अतिरिक्त यदि वह रुपया खर्च करती है, तो उसे घाटे की अर्थ-व्यवस्था कहते हैं। सरकार इस घाटे को जमा की हुई नकदी में से रुपया निकालकर या रिजर्व बैंक से रुपया उधार लेकर पूरा कर सकती है, परन्तु दोनों स्थितियों में मुद्रा संभरण में वृद्धि हो जाती है। इसकी सीमाओं को समझने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि मुद्रा परिचलन से समाज को अनेक प्रकार की सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। यदि परिचलन में मुद्रा की वृद्धि हो जाए और इसके साथ-साथ वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि न हो तथा मुद्रा के

नियन्त्रण के उपाय न किए जाए तो उसका अनिवार्य परिणाम मुद्रास्फीति के रूप मे प्रकट होता है। इसका अर्थ यह नही है कि किसी भी स्थिति मे घाटे की अर्थ-व्यवस्था करनी ही नही चाहिए, बल्कि उचित सीमा के अन्दर तो यह विकास साधनो को प्रोत्साहित करने का बहुत अच्छा तरीका है। प्राय सभी उन्नत देशो ने इससे लाभ उठाया है।

प्रश्न—योजना में लगभग १,२०० करोड रुपए के घाटे की अर्थ-व्यवस्था का अनुमान लगाया गया है। यह धनराशि बहुत बड़ी है, इसलिए मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को नियन्त्रित करने के लिए किन उपायो का अवलम्बन किया जाएगा?

उत्तर—१,२०० करोड रुपयो मे से २०० करोड रुपयो की पूर्ति पौंड पावने में से निकालकर की जा सकती है। इसी बीच राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। लोगो के रहन-सहन का स्तर ऊचा उठने के कारण नकद रुपए की माग अधिक होने लगेगी। इसमे कुछ सीमा तक मुद्रा के अधिक चलन से कोई हानि नही होगी।

शेष धन के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। योजना मे कठोर वित्तीय तथा मौद्रिक नीति के बरतने की सिफारिश की गई है ताकि प्रत्यय (क्रेडिट) का अत्यधिक विस्तार न होने पाए, क्योकि वैसा होने से या तो उसका बाजार की कीमतो पर बुरा असर पड सकता है या उसका उपयोग विकास के स्थान पर सट्टेबाजी के लिए हो सकता है। इसका एक उपाय यह भी है कि खाद्य पदार्थो, कपडे तथा आम जरूरत की दूसरी वस्तुओ का पर्याप्त भण्डार रखा जाए, अन्यथा इनकी कीमतें बढ जाने से समाज के निर्धन वर्ग के जीवन पर उसका प्रभाव पडेगा। वस्तुओ पर कट्रोल और राशनिंग कर देना भी मुद्रास्फीति को रोकने का एक अच्छा उपाय है, यद्यपि पिछले अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि यह उपाय बहुत अधिक समय तक प्रभावकारी ढग से नही चल सकता। एक उपाय यह भी है कि कर शीघ्र

परन्तु सोच-समझकर बढ़ा दिए जाएं जिससे अधिक नफाखोरी को रोका जा सके और घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाली अन्य हानिकारक प्रवृत्तियों का नियन्त्रित किया जा सके।

प्रश्न—योजना के साधनों को बढ़ाने में आम जनता किस प्रकार सहयोग दे सकती है?

उत्तर—आम व्यक्ति अपनी बचत के धन को ऋण के रूप में देकर सरकार की सहायता कर सकता है। भारत में जहां बैंक मे रुपया जमा करने की आदत बहुत कम लोगों को है, जनता की अल्प बचतों का विशेष महत्व है। दूसरी योजना मे अल्प बचतों द्वारा धन प्राप्त करने का लक्ष्य ५०० करोड़ रुपया है, जबकि पहली योजना में इनसे २३७ करोड़ रुपया एकत्र किया गया था। अल्प बचत आन्दोलन केवल धन एकत्र करने का ही साधन नहीं है, बल्कि जनता मे बचत की प्रवृत्ति बढ़ाने और उसको योजना से अधिक परिचित कराने का तरीका भी है। इस सम्बन्ध में यह भी याद रखने की बात है कि जनता से जितना अधिक धन मिलेगा, वह चाहे कर के रूप में हो या उधार के रूप में घाटे की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता उसी अनुपात में कम होगी।

प्रश्न—योजना के विशाल औद्योगिक कार्यक्रम के कारण देश के विदेशी मुद्रा साधनों पर बहुत भार पड़ेगा। भुगतान सतुलन में होने वाली कमी की पूर्ति किस प्रकार होगी?

उत्तर—अनुमान है कि दूसरी योजना में बड़े पैमाने पर बाहर से आने वाली मशीनें और विभिन्न उद्योगों में काम आने वाले कच्चे माल के कारण भुगतान सतुलन में १,१०० करोड़ रुपए की कमी पड़ेगी। इस कमी का कुछ भाग पौंड पावने में से २०० करोड़ रुपए निकालकर पूरा हो जाएगा।

निजी क्षेत्र में लगभग १०० करोड रुपए मिलने की आशा है। इस तरह ८०० करोड रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त करने की समस्या रह जाती है। इस सिलसिले में यह स्मरणीय है कि अमरीका के टेकनीकल सहयोग मिशन; रूस, नार्वे, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए मिली हुई राशि में से ३१० करोड रुपए अभी बचे हुए हैं।

योजना में अधिक से अधिक निर्यात करने और कम से कम आयात करने पर जोर दिया गया है। योजना के लिए काफी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों तथा मित्र देशों से प्रत्येक सम्भव उपाय काम में लाया जाएगा।

प्रश्न—क्या विदेशी सहायता स्वीकार करना हमें पराधीन बना देगा ?

उत्तर—नहीं, यदि विदेशी सहायता के साथ कुछ राजनीतिक शर्तें न जुड़ी हों, तो इसकी कोई सम्भावना नहीं है। प्राय सभी देशों ने कभी न कभी विदेशी सहायता का सहारा लिया है और इसमें कोई दोष भी नहीं है। भारत ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि शर्तों के साथ वह कोई भी विदेशी सहायता स्वीकार नहीं करेगा।

प्रश्न—यदि विदेशी सहायता आशा के अनुरूप न मिल पाई, तो यह कमी कैसे पूरी होगी ?

उत्तर—यदि आवश्यकता के अनुरूप विदेशी साधन उपलब्ध न हो सके, तो देश को विदेशों से आयात कम करके विदेशी मुद्रा को अधिक से अधिक सुरक्षित रखना पड़ेगा। इस उपाय का सहारा हम एक सीमित मात्रा में ही ले सकते हैं। वार्षिक विनियोग कार्यक्रमों का आकार

निर्धारित करने के लिए एक प्रमुख बात यह देखी जाएगी कि कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध है ।

प्रश्न—इस योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हो जाने की सम्भावना है ?

उत्तर—दूसरी योजना शुरू होने के समय राष्ट्रीय आय लगभग १०,८०० करोड़ रुपए थी अथवा पहली योजना के शुरू होने के समय से १८ प्रतिशत अधिक थी। आशा है १९६०-६१ तक राष्ट्रीय आय २५ प्रतिशत बढ़कर लगभग १३,४८० करोड़ रुपए हो जाएगी। परन्तु खपत के स्तर में वास्तविक वृद्धि केवल २० प्रतिशत के लगभग होगी, क्योंकि इसके साथ ही योजना में विनियोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बचत की दर को बढ़ाना पड़ेगा।

अध्याय ३

कृषि

प्रश्न—पहली योजना में कृषि की उन्नति पर बहुत जोर दिया गया था। क्या दूसरी योजना में भी कृषि पर उतना ही जोर दिया गया है?

उत्तर—यद्यपि दूसरी योजना में अधिक जोर उद्योग, खानों और परिवहन पर दिया गया है, तथापि कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों का भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। जहां तक खाद्यान्न का प्रश्न है, उनके अधिकाधिक उत्पादन की आवश्यकता है, क्योंकि अन्न का भण्डार कम है और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। दूसरे विकास कार्यों पर होने वाले बड़े खर्चों और मौसम की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए भी खाद्यान्न का भण्डार रहना बहुत आवश्यक है।

साथ ही कृषि की विभिन्न शाखाओं में भी विकास होना चाहिए, क्योंकि देश की औद्योगिक योजनाओं को पूरा करने के लिए व्यापारिक फसलों का बड़ा महत्व है।

दूसरी योजना में कृषि सामुदायिक विकास और सिंचाई के लिए ६४६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह राशि कुल बजट की २० प्रतिशत है।

प्रश्न—कृषि की पैदावार के मुख्य लक्ष्य क्या है ?

उत्तर—योजना मे मुख्य पैदावारो के लिए जो लक्ष्य रखे गए थे, उन्हें हाल ही मे बढा दिया गया है। अब वे इस प्रकार हैं

वस्तु	(लाख में) १९५५-५६ में उत्पादन	१९६०-६१ के लक्ष्य*	प्रतिशत वद्धि
(१)	(२)	(३)	(४)
खाद्यान	६५० टन	८१० (७५०)	२४ ७
तिलहन	५५ टन	७६ (७०)	३७ ०
गन्ना (गुड)	५३ टन	७८ (७१)	३३ ६
कपास	४२ गाठ	६५ (५५)	४५ ६
पटसन	४० गाठ	५५ (५०)	२८ १

*योजना के मूल लक्ष्य कोष्ठक मे दिए गए है।

आशा है कि योजना काल के अन्त तक कृषि पैदावार में २८ प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।

प्रश्न—कृषि पैदावार में वृद्धि किस प्रकार होगी ?

उत्तर—पहली योजना की तरह ही इस योजना मे भी कृषि पैदावार मे वृद्धि सिंचाई की अधिक सहूलियतें देकर, नई भूमि को खेती योग्य बनाकर और उसका अधिक सदुपयोग करके तथा खाद, अच्छे बीजों तथा खेती के नए तथा उन्नत तरीके अपनाकर की जाएगी। राष्ट्रीय विस्तार सवा

और सहकारिता आन्दोलन से भी कृषि के विकास में सहायता मिलेगी। इसमें स्थानीय साधनों का उपयोग होगा और अधिक पूंजी की उपलब्धि भी होगी।

प्रश्न—कृषि के विकास में सहकारिता आन्दोलन का क्या स्थान है ?

उत्तर—सहयोग का सिद्धांत तेजी से सामाजिक और आर्थिक विकास करने, विशेष रूप से गांवों का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कृषि के लिए धन की व्यवस्था करने, खाद्यान्नों का भण्डार रखने, छटाई-सफाई आदि करने, हाट-व्यवस्था करने और बीज व खाद का प्रबन्ध करने तथा कृषकों की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से सहकारी सगठनों का बहुत बड़ा महत्व है।

प्रश्न—सहकारिता के क्षेत्र में इधर देहातों में सतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। इस आन्दोलन को पुन शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया जा रहा है ?

उत्तर—आर्थिक और दूसरे साधनों के अभाव के कारण सहकारी समितियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती। ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश के आधार पर रिजर्व बैंक के जरिये विभिन्न स्तरों पर सहकारी संस्थाओं में राज्य की साझेदारी द्वारा सहकारी आन्दोलन को पुनर्गठित करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने एक राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालिक) निधि राज्य सरकारों को लम्बी मियाद का कर्ज देने के लिए स्थापित की है जिससे कि वे राज्य कृषि ऋण समितियों में साझेदार बन सकें। केन्द्रीय सरकार भी एक राष्ट्रीय सहकारिता विकास निधि खोलने वाली है। ऋण न देने वाली सहकारी सस्थाओं की हिस्सा-पूंजी इसी निधि से दी जाएगी। गोदाम बनाने के लिए सहायता, सहकारी समितियों के कर्मचारियों का वेतन, और राज्यों के सहकारी विभागों के प्रशासन तथा उन्हें समर्थ बनाने के लिए धन इन्हीं कोषों से दिया जाएगा।

पुनर्गठन की इस नई योजना की एक विशेषता यह भी है कि एक ही इलाके की ऋण देने वाली और ऋण न देने वाली संस्थाओं को परस्पर सम्बद्ध करने की व्यवस्था की गई है जिससे किसान बीज, खाद, औजार, और दूसरी आवश्यक उपभोग्य वस्तुओं के लिए ऋण ले सकें और साथ ही उनकी फसल की बिक्री का भी प्रबन्ध हो सके। हाट-व्यवस्था समितियां और बड़ी ऋणदात्री समितियां पैदावार के संग्रह के लिए गोदाम बनाएंगी। केन्द्रीय भाण्डागार (वेयर हाउसिंग) निगम और राज्यों के निगम भी भाण्डागार स्थापित करेंगे।

सहकारिता कार्य के लिए सभी प्रकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी रखा गया है। दूसरी योजना में सहकारिता आन्दोलन के लिए ४८ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न—'केन्द्र ग्राम' योजना क्या है?

उत्तर—'केन्द्र ग्राम' नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह देश के पशुधन सुधार की कुंजी होगी। केन्द्र ग्राम की एक इकाई में ६ गांव होते हैं जिनमें ३ वर्ष से अधिक उम्र वाली कुल मिलाकर लगभग ५०० गाएं रहती हैं। इस योजना के अनुसार कुछ चुने हुए इलाकों में जमकर कार्य किया जाता है। इनमें घटिया किस्म के सांडों को बधिया कर दिया जाता है, नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित करके नियन्त्रित किया जाता है, बछड़े पालने के लिए सहायता दी जाती है, चारे के साधनों का विकसित किया जाता है और पशुपालन उद्योग की वस्तुओं की सहकारी ढंग पर बिक्री की जाती है। पहली योजना की अवधि में ५७४ केन्द्र ग्राम और १४८ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किए गए थे। दूसरी योजना में १,२५८ केन्द्र ग्राम और २४५ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने का लक्ष्य है। आशा है कि इस योजना से लगभग २२,००० अच्छे सांड, ६,५०,००० अच्छे बैल, और १० लाख अच्छी गाएं मिल सकेंगी।

अध्याय ४

भूमि नीति

प्रश्न—भारत में भूमि सुधार सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

उत्तर—मुख्य बाते इस प्रकार है —

(१) सरकार और काश्तकार के बीच से बिचौलियो की समाप्ति।

(२) पट्टेदारी सुधार जिससे जमीन का लगान कम हो जाए और काश्तकार को जमीन पर स्थायी अधिकार मिल जाए। इसमे जमीन मालिक को अधिकार होगा कि वह खुदकाश्त के लिए जमीन का कुछ हिस्सा हासिल कर ले।

(३) खेती की जमीन का अधिकतम सीमा निर्धारण।

(४) जमीन की चकबन्दी और सहकारी खेती का विकास करके कृषि का पुनर्गठन।

प्रश्न—इस भूमि नीति से योजना के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यो की पूर्ति किस सीमा तक होगी ?

उत्तर—इस भूमि नीति मे योजना के आर्थिक उद्देश्यो की पूर्ति भूमि की पट्टेदारी की सुरक्षा का विश्वास दिलाकर और दूसरे लगान घटाकर होगी। इससे काश्तकार को भूमि को अच्छा बनाने और कृषि उत्पादन बढाने

का प्रोत्साहन मिलेगा । सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति मे इस भूमि नीति का लक्ष्य यह है कि भूमि का व्यापक आधार पर पुन बटवारा किया जाए तथा आय और सम्पत्ति की असमानता को कम किया जाए । सहकारी खेती पर जोर देने के कारण इसमे एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की रचना होगी तथा और अधिक सुचारु तथा उत्पादनशील कृषि अर्थ-व्यवस्था के लिए परिस्थितिया उत्पन्न होगी

प्रश्न—योजना में पट्टेदारी सम्बन्धी किन सुधारो का उल्लेख किया गया है ?

उत्तर—सुधार इस प्रकार है —

(१) काश्तकार (इनमे फसल मे हिस्सा बटाने वाला भी शामिल है) जो लगान देता है वह कुल पैदावार के एक-चौथाई या पाचवे हिस्से से अधिक नही होना चाहिए । अधिकतम नकद लगान भी मालगुजारी के कुछ गुने तक निश्चित किया जाए ।

(२) पट्टेदारो को बेदखल नही किया जाना चाहिए । हा, यदि मालिक सचमुच खुदकाश्त के लिए जमीन हासिल करना चाहे तो उसे सीमित क्षेत्र में भूमि दे दी जाए । काश्तकार को इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि मालिक के जमीन हासिल कर लेने के कारण वह भूमिहीन नही हो जाएगा ।

(३) जिन क्षेत्रो मे काश्तकारो को मौरसी अधिकार दे दिए गए है, वहा यदि वे मुआवजा दे दें तो उन्हे भूमि का स्वामित्व मिल जाना चाहिए ।

प्रश्न—देखा गया है कि यद्यपि जिन राज्यो ने कानूनन पट्टेदारी की सुरक्षा के नियम बना दिए है, वहा भी कभी-कभी जमींदार काश्तकारों

को बेदखल कर देते हैं। अपने सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के कारण वे काश्तकारों से उनकी अनिच्छा होते हुए भी 'स्वेच्छा से दिया' लिखवा लेते हैं। काश्तकारों को इस प्रकार बेदखल होने से बचाने के लिए योजना में क्या सुझाव दिया गया है ?

उत्तर—इस सम्बन्ध में दो सिफारिशें की गई हैं

(१) जमीन की वापसी तब तक वैध नहीं समझी जाएगी जब तक मालगुजारी अधिकारी छान-बीन करके इस बात का निश्चय न कर ले कि काश्तकार ने जमीन स्वेच्छा से छोड़ी है और उसका पंजीकरण कर ले।

(२) जमींदार उस छोड़ी हुई जमीन के उतने ही हिस्से पर कब्जा कर सकता है जितनी कानूनन खुदकाश्त के लिए ली जा सकती है। बची हुई जमीन पर सरकार का कब्जा होगा।

प्रश्न—योजना आयोग ने खेती की जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सिद्धान्त का समर्थन किया है। यह सीमा किस प्रकार निश्चित की जाएगी ?

उत्तर—योजना आयोग ने सिफारिश की है कि तीन पारिवारिक चक्रों की जमीन की अधिकतम सीमा मान लिया जाए। एक पारिवारिक चक एक हल की खेती की इकाई को या औसत परिवार जितनी खेती का काम सभाल सके, उतनी जमीन की इकाई को कहते हैं जिसमें जब-तब अन्य लोगों की सहायता लेना शामिल है।

प्रश्न—अधिकतम सीमा से किन-किन छूटों की सिफारिश की गई है ?

उत्तर—यह छूट इन पर लागू होगी—चाय, काफी और रबड़ के बागानों, विशिष्ट प्रकार के फार्मों, चीनी कारखानों के गन्ना फार्मों और ऐसे

सुव्यवस्थित फार्मों में जिनमें इतनी बड़ी पूंजी लगी हुई हो या ऐसी स्थायी इमारतें बनी हों जिनको अलग-अलग कर देने से पैदावार में कमी हो जाने की सम्भावना हो ।

प्रश्न—भूमिहीन मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए योजना में क्या सुझाव रखे गए हैं ?

उत्तर—जहां तक सम्भव होगा, अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कारण प्राप्त होने वाली बची हुई जमीन, भूदान आन्दोलन से प्राप्त जमीन, खेती योग्य बनाई गई जमीन तथा अन्य साधनों से प्राप्त जमीन भूमिहीन मजदूरों को दी जाएगी। पर चूंकि इस प्रकार वितरित की जाने वाली जमीन बहुत थोड़ी होगी, इसलिए यह समस्या का केवल आंशिक समाधान है। इसलिए विचार है कि इन लोगों के सहायतार्थ निर्माण कार्यों के लिए उनकी श्रमिक सहकारी समितियां संगठित की जाएं और उनके लाभार्थ बहुत-से गृह उद्योग शुरू किए जाएं। आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि इन मजदूरों को मुफ्त जमीन दी जाए जिस पर ये अपने घर बना सकें। आयोग का यह भी विचार है कि इनको न्यूनतम वेतन कानून के अन्तर्गत ले लिया जाए।

✓ **प्रश्न—कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जमीन की चकबन्दी करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस दिशा में कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं।**

उत्तर—चकबन्दी के कार्यक्रम बहुत-सी राज्य सरकारों ने अपनी योजनाओं में सम्मिलित कर लिये हैं। योजना आयोग ने देश के विभिन्न भागों में चालू तरीकों और समाधानों का अध्ययन किया है जिससे इस अनुभव का सदुपयोग किया जा सके।

विभिन्न राज्य अपने चकबन्दी कार्यक्रमों को व्यापक बना सकें, इसके लिए भारत सरकार ने राज्यों को चकबन्दी कार्यक्रमों पर उनके शुद्ध व्यय की ५० प्रतिशत और सकल व्यय की अधिक से अधिक २५ प्रतिशत तक वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है।

प्रश्न—सहकारी खेती के लिए किस कार्यक्रम की सिफारिश की गई है ?

उत्तर—सुझाव यह है कि लगभग १० वर्षों में खेती की जमीन का काफी बड़ा भाग सहकारी खेती के आधार पर जोता-बोया जाए।

प्रश्न—सहकारी खेती के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन-से कदम उठाए जाएंगे ?

उत्तर—सुझाव रखा गया है कि सहकारी खेती समितियों को सरकार से विशेष सहायता और सहूलियतें मिलनी चाहिए, जैसे

(१) सरकार अथवा सहकारी एजेन्सियों की तरफ से ऋण दिया जाए और खेती के जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, उनको आर्थिक सहायता देते समय प्राथमिकता दी जाए।
(२) अच्छे बीज, खाद और स्थानीय निर्माण के लिए सामान देते समय प्राथमिकता दी जाए।
(३) जो जमीन सहकारी खेती में आती हो, उसकी चकबन्दी के लिए सहूलियतें दी जाएं।
(४) सरकार द्वारा खेती योग्य बनाई हुई जमीनों और सवर्धनीय (खेती के लायक) पड़ती जमीनों को देते हुए प्राथमिकता दी जाए।

(५) सहकारी खेती के प्रबन्धक को एक सीमित समय के लिए सरकारी सहायता दी जाए ।

(६) फार्म का प्रबन्ध करने, पैदावार को बाजार में बेचने और पैदावार के कार्यक्रम आदि बनाने मे टेकनीकल सहायता दी जाए ।

(७) सहकारी कृषि सस्थाओ के सदस्यो को कुटीर उद्योग दूध-घी-मक्खन और बागवानी आदि कृषि से भिन्न कार्यों को विकसित करने में टेकनीकल और वित्तीय सहायता दी जाए।

यह सुझाव रखा गया है कि खेती की जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बाद जो अतिरिक्त जमीन बचे, वह जहा सभव हो सहकारी कृषि समितियो को दे दी जाए। परीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में दो एक और बाद में प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक योजना काय क्षेत्रों में सहकारी फार्म खोले जाए। इन सहकारी फार्मों को खोलने की सिफारिश इसलिए की गई है कि इनमें सगठन और प्रबन्ध के उचित तरीके निकाले जा सकें, और मजदूरो के लिए ये प्रशिक्षण केन्द्रो का काम भी दे सकें।

प्रश्न—भूमि सुधार में भूदान आन्दोलन का क्या महत्व है ?

उत्तर—भूदान आन्दोलन भूमि सुधार कार्यक्रमो को पूरा करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है। भूदान मे मिली हुई जमीन से भूमिहीन खेतिहर मजदूरो को जमीनें देकर बसाने का अवसर भी मिलेगा।

अध्याय ५

सिंचाई और बिजली

प्रश्न—सिंचाई का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—इस कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए है कि यदि कृषि की पैदावार के लक्ष्यों को पूरा करना है तो किसानों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलना चाहिए। देश के अधिकांश भागों में फसल की जरूरत के लायक वर्षा नहीं होती। इतना ही नहीं, ज्यादातर वर्षा वर्ष में तीन महीने ही होती है। इसीलिए इसके अभाव की पूर्ति सिंचाई द्वारा करनी पड़ती है। सिंचाई के राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य नदियों में प्रवाहित होने वाले समस्त जल का—जिसका कि ६० प्रतिशत आजकल बेकार बह जाता है—सदुपयोग करना और जल के अन्य स्थल साधनों का विकास करना है।

प्रश्न—बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं के लक्ष्य क्या हैं ? जोती हुई कुल जमीन के लिए उनका क्या अनुपात है ?

उत्तर—पहली योजना में सिंचाई के कार्यक्रम के अन्तर्गत एक दीर्घकालीन योजना इस दृष्टि से बनाई गई थी कि १५–२० वर्ष में

सिंचित भूमि पहले से दुगुनी, अर्थात लगभग १० करोड़ एकड़ हो जाएगी। प्रथम योजना काल में १ करोड़ ४० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि सींची गई जिसमें से ८० लाख एकड़ नई, बड़ी और मध्यम योजनाओं का परिणाम थी। आशा है, दूसरी योजना की अवधि में २ करोड़ १० लाख एकड़ भूमि और सींची जाएगी, जिसमें से १ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई बड़ी योजनाओं से होगी। इस योजना के अन्त में आशा है कि खेती की कुल जमीन की २७ प्रतिशत जमीन में सिंचाई होने लगेगी, जबकि १९५५-५६ में यह जमीन २० प्रतिशत और १९५०-५१ में १७.५ प्रतिशत थी।

प्रश्न—औद्योगिक प्रगति में बिजली का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी योजना में यह कितनी बढ़ जाएगी ?

उत्तर—पहली योजना के अन्त में देश में बिजली प्रतिष्ठानों की कुल क्षमता ३४ लाख किलोवाट थी। यह क्षमता पांच वर्ष पहले की अपेक्षा ४८ प्रतिशत अधिक थी। दूसरी योजना में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ३५ लाख किलोवाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। विचार है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की वर्तमान क्षमता में २० प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाए।

प्रश्न—सिंचाई और बिजली की किन मुख्य योजनाओं पर काम हो रहा है ?

उत्तर—इन योजनाओं की तालिका बहुत लम्बी है, पर यहां इनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं के नाम दिए जा रहे हैं—

भाखड़ा-नंगल (पंजाब और राजस्थान)
दामोदर घाटी (पश्चिम बंगाल और बिहार)

हीराकुड (उड़ीसा)
महानदी डेल्टा (उड़ीसा)
काकड़ापार (बम्बई)
मयूराक्षी (पश्चिम बंगाल)
कोसी (बिहार और नेपाल)
चम्बल (राजस्थान और मध्य प्रदेश)
तुंगभद्रा (मैसूर और आन्ध्र)
नागार्जुनसागर (आन्ध्र)
घाटप्रभा (मैसूर)
रिहन्द (उत्तर प्रदेश)
मचकुंड (आन्ध्र और उड़ीसा)
पेरियार (मद्रास)
मलमपुझा (केरल)
कोयना (बम्बई)
भद्रा (मैसूर)

प्रश्न—इस समय जिन योजनाओं पर काम हो रहा है, उनके अतिरिक्त और कौन-सी नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं और उन पर कितना खर्च आएगा ?

उत्तर—दूसरी योजना के कार्यक्रम में लगभग २०० नई योजनाएं हैं, जिनमें से केवल १८ पर ५ करोड़ रुपए से अधिक खर्च आएगा। इस तरह पहले मध्यम योजनाओं पर अमल करना ही ठीक है, क्योंकि उनसे लाभ शीघ्र मिलेगा। इसी प्रकार बिजली पैदा करने वाली ४४ नई योजनाओं में से अधिकांश से योजनाकाल में ही थोड़ा-बहुत लाभ (लगभग ११ लाख किलोवाट) मिलने लगेगा।

नई योजनाओं में से कुछ मुख्य योजनाएं ये हैं —

गिरना (बम्बई)
उकाई (बम्बई)
नर्मदा (बम्बई)
पूर्णा (बम्बई)
व[illegible]म (बम्बई)
म[illegible] (बम्बई)
शारदा सागर (द्वितीय चरण) (उत्तर प्रदेश)
रामगंगा (उत्तर प्रदेश)
तवा (मध्य प्रदेश)
राजस्थान नहर योजना (राजस्थान)
कसावाटी (पश्चिम बंगाल)
दुर्गापुर ताप योजना (पश्चिम बंगाल और बिहार)
कोरबा पन-बिजली योजना (मध्य प्रदेश)
कुन्दाह पन-बिजली योजना (मद्रास)
शरावती पन-बिजली योजना (मैसूर)
बारौनी भाप केन्द्र (बिहार)
यमुना हाइडेल योजना (उत्तर प्रदेश)

नई सिंचाई योजनाओं पर कुल खर्च लगभग ४५० करोड़ रुपया होगा, जिसमें से आधा १९६०–६१ तक खर्च हो जाने की आशा है। सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली की नई योजनाओं में लगभग ४२० करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें से २६७ करोड़ रुपया योजनाकाल में ही खर्च हो जाएगा।

प्रश्न—सिंचाई में छोटी योजनाओं का कितना योग रहेगा?

उत्तर—सिंचाई की छोटी योजनाओं के अन्तर्गत कुओं और तालाबों का निर्माण तथा मरम्मत करना, पम्प लगाना, बांध और बन्धे बनाना और

उन्हे सुधारना आदि काम आते है । पिछले कुछ वर्षों में नलकूपो का भी बहुत महत्व बढ गया है । लगभग २० करोड रुपया लगाकर ३,६०० नए नलकूप लगाए जाएगे । दूसरी योजना में जहा मध्यम और बडी योजनाओं द्वारा १ करोड २० लाख एकड अतिरिक्त भूमि में सिचाई होगी, वहा इन छोटी योजनाओं से लगभग ९० लाख अतिरिक्त भूमि सीची जा सकेगी ।

प्रश्न—क्या सिचाई की छोटी योजनाओ की अपेक्षा बडी योजनाए बनाना अधिक लाभदायक है ?

उत्तर—बडी और छोटी दोनो ही प्रकार की योजनाए बहुत आवश्यक है । दोनो के अपने-अपने लाभ है । बडी योजनाओ से नदियों का फालतू पानी जो वैसे बेकार ही बह जाता है काम में आ जाता है । उनसे बड-बडे क्षेत्रो को लाभ पहुचता है, अभाव के समय के लिए अधिक सुरक्षा हो जाती है, और अक्सर उन्हें बहुद्देश्यीय बनाकर उनसे बहुत-से काम लिये जाते है, जैसे सिचाई, बिजली, नालिया, बाढ नियन्त्रण आदि । इनके विपरीत छोटी योजनाए कम खर्च वाली होती है और उनके निर्माण में जनता का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । उनसे लाभ भी जल्दी होता है और वे ऐसे क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हो सकती है जहा बडी योजनाए कार्यान्वित नही की जा सकती ।

इस प्रकार छोटी और बडी योजनाए एक-दूसरे की पूरक है । योजना मे इन दोनो के बीच सतुलन रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ।

प्रश्न—बिजली से गावों को नया जीवन मिलेगा । गांवों में बिजली पहुचाने के बारे में योजना में क्या सुझाव दिए गए है ?

उत्तर—भारत में गाव दूर-दूर बसे हुए है और उनमें से अधिकाश बिजली के विकसित साधनो की पहुच से दूर है । गावों में व्यापक रूप से

बिजली पहुचाने का कार्यक्रम बहुत महगा पडेगा और बिजलीघर मकान और उनके रखरखाव पर व्यय भी बहुत अधिक होगा । इसलिए बिजली के कार्यक्रम को कई भागो में बाटना पडेगा ।

योजना में कस्बा और गावो में बिजली लगाने के लिए ७५ करोड रुपया रखा गया है । इस धन से १०,००० से अधिक जनसख्या वाले सब कस्बो और ५,००० तक की जनसख्या वाले लगभग ८० से ९० प्रतिशत कस्बो में बिजली लग जाएगी । जब इन कस्बो मे बिजली लग जाएगी तो वे विकास के केद्र बन सकेंगे और वहा आस-पास के गाव वालो को हाट-व्यवस्था, ऋण आदि की तथा और बहुत-सी बातो की सहूलियते मिल जाएगी ।

कम जनसख्या वाले स्थानो के लिए मुख्य ग्रिड लाइनो के समीपवर्ती गावो में बिजली पहुचाने की व्यवस्था की जा रही है । कोशिश यह है कि योजना काल में ५,००० से कम जनसख्या वाले लगभग ८ ६०० गावो मे बिजली पहुचा दी जाए । इस प्रकार योजना की अवधि पू ी हो जाने पर लगभग १८,००० छोटे कस्बो और गावो में बिजली पहुच जाएगी ।

प्रश्न—देश के कुछ भागो में प्राय हर साल ही बाढ आया करती है। इन्हें किस तरह रोका जाएगा ?

उत्तर—सही आकडो के न मिल सकने के कारण अभी बाढ-नियत्रण की व्यापक योजनाए नही बन सकी है, परन्तु फिर भी इस काम को तीन भागो में बाटा जा सकता है (१) तात्कालिक कार्य—इसके अन्तर्गत छानबीन योजनाए बनाने और चुने हुए स्थानो में निर्माण के काम आते हैं, (२) अल्पकालीन काय—इसके अन्तर्गत किनारो पर पुश्ते बाधने और नदी को गहरा करने के काम किए जाएगे, और (३) दीर्घकालीन काय—इसके अन्तगत घाटियो का बहूद्देश्यीय विकास करने के लिए नदियो पर जलाशय बनाए जाएगे ।

दूसरी योजना में तात्कालिक और अल्पकालीन कार्यों के लिए ६० करोड रुपए की रकम रखी गई है। बाढ-नियन्त्रण के लिए नदियो के ऊपरी भागो में भूमि सरक्षण और जगल लगाने का काम भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। योजना के कृषि क्षेत्र में उसके लिए व्यवस्था की गई है।

प्रश्न—उपर्युक्त योजना कार्यों की सफलता में जनता अपना सहयोग किस प्रकार दे सकती है ?

उत्तर—जनता अपना सहयोग निम्नलिखित ढग से दे सकती है

(१) बडी योजनाओ के लिए विशेष रूप से लिये जाने वाले ऋण में अपना हिस्सा देकर,

(२) उन्नति शुल्क और बढ हुए आबयाने को सहर्ष स्वीकार करके,

(३) नहरो की खुदाई सडकें बनाने और बाढ रोकने के लिए बाध बनाने आदि कामो के लिए ग्राम सहकारी समितिया बनाकर,

(४) राज्यों के सिचाई कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त जल को किफायत से खर्च करके और उसका अधिकतम लाभ उठाकर और

(५) निजी सिंचाई कार्यक्रमो को सुव्यवस्थित ढग से चलाकर।

अध्याय ६

सामुदायिक विकास

प्रश्न—सामुदायिक विकास के क्या मायने हैं ?

उत्तर—सामुदायिक विकास स्वय ग्रामवासियो के प्रयत्नो के सहारे गावो की सामाजिक और आर्थिक काया पलट देने का आन्दोलन है। इसका उद्देश्य यह है कि गाव वालो पर जबरदस्ती सुधार लादने के बजाय उनमें अपनी उन्नति स्वय करने की इच्छा पैदा की जाए। इसलिए उनके साथ सम्पर्क विविध विभागो से सम्बद्ध अधिकारियो के जरिए नही ग्रामसेवक के जरिए स्थापित किया जाता है जो उन्हीं के बीच रहता और उनमें नए विचार जगाता है। किसानो की कठिनाइया दूर करने और ग्राम जीवन का विकास करने के काम में उसे राज्य के विकास विभागो का पूरा समर्थन प्राप्त होता है।

प्रश्न—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत कौन-से कार्यक्रम किए जाएगे ?

उत्तर—इस कार्यक्रम के विशेष क्षेत्र कृषि, पशुपालन और सिचाई हैं जो कि ग्राम जीवन के मुख्य आधार हैं। इसके अतिरिक्त, सचार साधनो के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सामाजिक और सास्कृतिक पहलुओ

आदि की ओर भी ध्यान दिया जाता है । इधर दूसरी योजना में कुटीर उद्योगो के विकास, सहकारिता, स्त्रियो, बच्चो तथा आदिवासी क्षेत्रो के लिए विविध कार्यक्रमो मे वृद्धि करने की ओर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है जो कि अब तक उपेक्षित पडे थे ।

उपर्युक्त बातो को ध्यान में रखते हुए ६०,००० से ७०,००० तक जनसख्या वाले लगभग १०० गावो के एक क्षेत्र को चुन लिया जाता है। इस प्रकार का प्रत्येक क्षेत्र विकास खण्ड कहलाता है ।

प्रश्न—राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्या है ?

उत्तर—ग्राम विकास के लिए 'विस्तार' शब्द का प्रयोग गाव वालो में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने के अर्थ में किया जाता है जिससे कि वे अपनी अवस्था सुधार सकें । राष्ट्रीय विस्तार सेवा इस उद्देश्य को पूरा करने वाले ग्रामसेवक आदि कार्यकर्ताओ का एक जाल-सा है । प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक खण्ड विकास अधिकारी, सात विस्तार अधिकारी और दस ग्रामसेवक नियुक्त किए जाते हैं । दूसरे शब्दो में, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास कार्यक्रमो को पूरा करने का एक अभिकरण है । अक्तूबर १९५३ में आरम्भ होकर यह पहली योजना के अन्त तक भारत के लगभग एक-चौथाई देहातो में फैल गया था । आशा है कि १९६०-६१ तक इसका प्रसार पूरे देश में हो जाएगा ।

प्रश्न—क्या विकास के लिए चुने गए सब क्षेत्रों में समान रूप से काम किया जाता है ?

उत्तर—नही, कुछ क्षेत्रो में अधिक गहन रूप से काम होता है । १९५२ में जब सबसे पहले सामुदायिक विकास खण्डो की स्थापना हुई थी, उस समय यह सोचा गया था कि उनमें तीन वर्ष तक कृषि तथा अन्य क्षेत्रो में अधिक व्यापक रूप से काम किया जाएगा । एक साल बाद जब राष्ट्रीय विस्तार

सेवा का आरम्भ हुआ तब यह अनुभव किया गया कि उतने गहन आधार पर कार्यक्रमो को तेजी से आगे बढाने के लिए धन और प्रशिक्षित व्यक्तियो दोना की ही कमी है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कार्यक्रम को हिस्सो में बाट दिया गया—पहला हिस्सा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का तीन साल के लिए और दूसरा हिस्सा गहन विकास का और तीन साल के लिए।

विकास के लिए चुने गए सारे नए खण्डो में इसी तरह काम होता है। इन ६ वर्षों के बाद विकास खण्डो का तीसरा हिस्सा, अर्थात गहन विकासोत्तर हिस्सा आता है, जिसमे रा० वि० सेवा राज्य के सारे विकास विभागो के स्थायी प्रशासकीय अभिकरण के रूप में काम करती है।

दूसरी योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ३,८०० नए विकास खण्ड-बनाने की आवश्यकता है जिनमें स लगभग एक-तिहाई गहन कार्य के लिए चुने जाएगे।

प्रश्न—क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ग्राम विकास के लिए एक स्थायी अभिकरण बन जाएगी ?

उत्तर—विचार है कि ग्रामवासियों को अपना जीवन उन्नत बनाने मे सहायता करने के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा का काम जारी रखा जाएगा। इसके अलावा आशा है कि सामुदायिक विकास कार्य दिन-दिन राज्य के कल्याण कार्यक्रमो के साथ समन्वित होते चले जाएगे।

प्रश्न—यह समन्वय किस प्रकार लाया जाएगा ?

उत्तर—इसके लिए सगठन का एक ऐसा तरीका निकाला गया है जिसमे यह समन्वय अपने आप ही हो रहा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमो का काम भारत सरकार के सामुदायिक विकास मत्रालय की देख-रेख में हो रहा है। राज्यो मे एक राज्य विकास समिति है, जिसके सदस्य विकास विभागो क मत्री और अध्यक्ष वहा का मुख्यमत्री है।

एक वरिष्ठ अधिकारी, जो विकास आयुक्त (डेवलपमेंट कमिश्नर) कहलाता है, समिति का मत्री होता है। इसके नीचे विकास विभागो के मुख्य अधिकारी काम करते है। इसी तरह जिलो में कलक्टर या डिप्टी कमिश्नर और नीचे स्तर पर सब-डिवीज़नल अफसर अपने अधीनस्थ कर्मचारियो के साथ यही उत्तरदायित्व निभाते है। सब-डिवीजनल अफसर के बाद १०० गावो क एक खण्ड का अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी (ब्लाक डेवलपमेंट अफसर) होता है। गावो मे ग्रामसेवक पचायतो, गाव के वयोवृद्ध व्यक्तियो और पाठशालाओ के शिक्षको आदि की सहायता से यह काम करता है।

इस प्रकार सामुदायिक कार्यक्रम को राज्य के सामान्य क्रिया-कलापो के साथ जोडा जा रहा है, ताकि स्वयसेवा पर आधारित एक सगठित और स्थायी कल्याण कार्यक्रम की रचना हो सके।

अध्याय ७

उद्योग

प्रश्न—योजना में उद्योगों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का क्या स्थान रहेगा?

उत्तर—देश में समाजवादी समाज स्थापित करने के उद्देश्य के अनुसार १९४८ की औद्योगिक नीति को संशोधित किया गया। इससे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वह यह है कि राज्य ने औद्योगिक विकास का उत्तरदायित्व पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सीधे अपने हाथों में ले लिया है। अप्रैल १९५६ के नए औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार औद्योगीकरण को तेज करने, विशेष रूप से बड़े उद्योगों को विकसित करने, सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक विस्तार करने और निजी उद्योगों में एक बड़े और वर्तमान सहकारी क्षेत्र की स्थापना करने पर जोर दिया गया है। जिन उद्योगों का विकास केवल राज्य करेगा, वे हैं शस्त्र और गोला-बारूद और युद्धसामग्री, अणुशक्ति, लोहा और इस्पात, भारी सयन्त्र और मशीनें, कोयला, लिगनाइट, खनिज तेल, हवाई जहाज और रेल परिवहन, जहाज निर्माण और टेलीफोन। इनके अतिरिक्त, लोहा, मैंगनीज और खनिज तेल आदि महत्वपूर्ण खनिजों और तांबा, सीसा, जस्त आदि की खुदाई और विधायन का काम भी सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। कुछ दूसरे उद्योग, जैसे अल्यूमीनियम, मशीन टूल, दूसरी धातुओं का विकास,

उर्वरक, सड़क और जल परिवहन आदि अधिकाधिक राज्य के अधिकार में आते जाएगे, परन्तु राज्य के प्रयत्नों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के लिए भी काफी गुजाइश रहेगी। शेष उद्योग सामान्यतया निजी क्षेत्र के लिए छोड दिए गए है, परन्तु उनके योजनाबद्ध विकास के लिए नियमन अधिकार राज्य के होगे।

प्रश्न—बडे पैमाने पर औद्योगिक विकास के लिए किन निधियो की व्यवस्था की गई है ?

उत्तर—सार्वजनिक क्षेत्र मे बडे और मध्यम उद्योगो के लिए ६१७ करोड रुपए की पूजी लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त ७३ करोड रुपया खनिज विकास के लिए रखा गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम और निजी क्षेत्र के अन्तर्गत (खदानो की खुदाई, बिजली का उत्पादन एव वितरण, बागान और छोटे उद्योगो को छोडकर) बनाए गए कार्यक्रमो पर लगभग ७२० करोड रुपया खर्च होने का अनुमान है। इसमें से ५७० करोड रुपया नए विनियोगो पर और १५० करोड रुपया वर्तमान कारखानो के प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण पर खर्च किया जाएगा।

प्रश्न—औद्योगिक सामर्थ्य के विस्तार के लिए निर्धारित प्राथमिकताओ का क्रम क्या है ?

उत्तर—ये प्राथमिकताए इस प्रकार है

(१) लोहा व इस्पात और भारी रासायनिक पदार्थो के उत्पादन, (इनमें नत्रजनीय खादें शामिल है), भारी इजीनियरी सामान तथा मशीनें बनाने वाले उद्योगो का विकास

(२) अन्य विकास पदार्थो और उत्पादक माल के निर्माण की सामर्थ्य का विकास, जैसे अल्यूमीनियम, सीमेंट, रासायनिक लुगदी रग और आवश्यक दवाए

(३) वर्तमान महत्वपूर्ण उद्योगो का आधुनिकीकरण और नवीकरण जैसे पटसन, सूती कपडा और चीनी,

१५ जोड़हीन डिब्बा कारखाना	५ २	१०·०	
१६ छोटी लाइन के सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए कारखाना	—		
१७ भारतीय टेलीफोन उद्योग (विस्तार)	४ १*	० ५	

प्रश्न—निजी उद्योगों का विकास ठीक ढंग से हो, इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर—१९५१ के उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत राज्य को किसी भी उद्योग की जाच-पडताल करने का अधिकार है, और उसके बाद यदि उस उद्योग का प्रबन्ध ठीक ढग स न हो रहा हो तो राज्य उसे अपने अधिकार में ले सकता है। निजी उद्योगो को व्यवस्थित करने के लिए इस अधिनियम मे दो बाते विशेष रूप से कही गई है—एक है लाइसेंस देना और दूसरे, अलग अलग उद्योग के लिए विकास परिषदे सगठित करना। अन्य उद्योगो को भी इस अधिनियम के अन्तगत लाने के लिए इसमें दो सशोधन किए गए है। नई इकाइया स्थापित करने के लिए तथा सामर्थ्य का विस्तार करने के लिए जो अर्जिया आती है, उनकी जाच लाइसेंस समिति करती है। स्मरण रहे, लाइसेंस समिति का काम सरकार को केवल परामर्श देना ही है। लाइसेंस लेने वालो को निश्चित समय के अन्दर कुछ कार्यवाहिया भी पूरी करनी पडती है।

उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत बहुत-से उद्योगो, जैसे भारी रासायनिक पदार्थ उद्योग, साइकिल उद्योग, चीनी उद्योग, बिजली उद्योग और औषध निर्माण उद्योग के लिए विकास समितिया बना दी गई है।

इसके अतिरिक्त, निजी उद्योगो पर सशोधित कम्पनी अधिनियम द्वारा भी अकुश रखा गया है ताकि निजी उद्योगो का प्रबन्ध स्वीकृत मानदण्डो के अनुसार होता रहे।

---

*मैसूर सरकार द्वारा लगाए गए ३१ लाख रुपए इसके अतिरिक्त है।

प्रश्न—विदेशी पूजी क सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

उत्तर—इस सम्बन्ध मे सरकार की नीति यह है कि यदि किसी वस्तु-विशेष के उत्पादन की पर्याप्त सामर्थ्य देश में न हो तथा विदेशो से टेकनीकल सहायता ली जानी हो, तब वह विदेशी पूजी आमंत्रित कर सकती है ।

वैसे सरकार की कोशिश यही रहती है कि जहा तक हो सके स्वामित्व और नियत्रण भारतीयों के हाथों में ही रहें, और भारतीय कर्मचारियो को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि आगे चलकर वे विदेशी विशेषज्ञो के स्थान पर काम सभाल सकें ।

देश मे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए विदेशी पूजी मिल सके, इसके लिए सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि औद्योगिक नीति लागू करने में देशी और विदेशी प्रतिष्ठानो में किसी प्रकार की भेदभाव की नीति नही बरती जाएगी । इसके अतिरिक्त, विदेशियों को इस देश में जो लाभ प्राप्त होगा, उसे अपने देश में भेजने के लिए तथा पूजी के वापिस लौटा लेने के लिए (परन्तु विदेशी मुद्रा की स्थिति का ध्यान रखते हुए) उन्हें समुचित सुविधाए प्रदान की जाएगी । यदि राष्ट्रीय-करण की नौबत आई तो उन्हे उचित मुआवजा दिया जाएगा ।

अनुमान है कि योजनाकाल में निजी क्षेत्र के उद्योग कार्यक्रमो के लिए लगभग १०० करोड रुपए की विदेशी पूजी, जिसमें सभरणकर्ताओं की पूजी भी सम्मिलित है, प्राप्त हो सकेगी ।

प्रश्न—योजना में उद्योगो पर जो विशेष जोर दिया गया है, उससे खनिज उत्पादन को और भी बढ़ाना होगा । महत्वपूर्ण खनिजो के सम्बन्ध म योजना क लक्ष्य क्या है ?

उत्तर—योजना मे खनिज विकास के लिए ७३ करोड रुपए की व्यवस्था है। मुख्य लक्ष्य इस प्रकार है —

खनिज	मात्रा	१९५४ में उत्पादन	१९६०-६१ के लक्ष्य
कोयला	लाख टन	३७०	६००
कच्चा लोहा	,,	४३	१२५
मेंगनीज	,,	१४	२०
चूना पत्थर	,,	अप्राप्य	२३३
जिप्सम	,,	६·१	१९७
बाक्साइट	हजार टन	७५	१७५

खनिज विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में दो बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहली बात यह है कि कोयला उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में केवल राज्य ही नए साधनों की खोज करेगा। राज्य के वर्तमान कार्यों में भी विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निजी खानो से कहा गया है कि वे भी अपना कुल उत्पादन एक करोड टन तक बढाने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि देश के तेल साधनों की खोज और विकास कार्य को योजना मे विशेष प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि देश में तेल का वर्तमान उत्पादन प्राय नगण्य है।

अध्याय ८

कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग

प्रश्न—राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में ग्राम उद्योगों और छोटे उद्योगों का क्या स्थान है ?

उत्तर—उद्योग देश के आर्थिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं। यदि ठीक ढंग से इनका विकास किया जाए, तो इनसे लोगों को बहुत-से काम-धंधे मिल सकते हैं, लोगों की आमदनी और जीवन-स्तर ऊंचा उठ सकता है और ग्रामों की अर्थ-व्यवस्था अधिक सन्तुलित हो सकती है। टेक्नीकल उन्नति के साथ-साथ गांवों के उद्योगों का ढांचा भी बदल सकता है और साधारण धंधों के स्थान पर छोटी-छोटी उद्योग इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं, जिससे लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताएं भी पूरी हो सकेंगी। इस प्रकार ग्राम उद्योगों और छोटे उद्योगों को अर्थ-व्यवस्था में एक प्रगतिशील और समर्थ विकेन्द्रित क्षेत्र के रूप में स्थान देना होगा जो कि एक ओर तो कृषि और दूसरी ओर बड़े उद्योगों के साथ सम्बन्धित होगा।

प्रश्न—कुटीर उद्योगों और छोटे उद्योगों को बड़े कारखानों के मुकाबले में नुक्सान उठाना पड़ता है। यह मसला किस प्रकार हल किया जा सकता है ?

उत्तर—इस मसले का हल यह है कि उन क्षेत्रों में जहां छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उत्पादक हैं, सामान्य उत्पादन कार्यक्रम बनाए जाएं।

इसके लिए योजना उद्योग ने निम्नलिखित कुछ उपायों में एक या सभी को काम में लाने की सिफारिश की है —

(१) दोनो के उत्पादन क्षेत्रो का या तो निर्धारण कर दिया जाए या एक-दूसरे के उत्पादन क्षेत्र सुरक्षित रखे जाए,
(२) जहा आवश्यक हो, वहा बडे उद्योगो की सामर्थ्य का विस्तार न होने दिया जाए, और
(३) बडे उद्योग पर उपकर लगा दिया जाए ताकि उसी प्रकार का सामान बनाने वाले छोटे उद्योग को लाभ पहुचे।

अभीष्ट विकेन्द्रित क्षेत्र बनाने के लिए छोटे और बड़े उद्योगो मे—चाहे स्वतन्त्र छोटे उद्योग हो अथवा पुर्जे बनाने वाले उद्योग हो—उत्पादन क्षेत्र सुरक्षित कर देना अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु बडे उद्योगो की उत्पादन सामर्थ्य सीमित करने से पहले यह बात देखनी होगी कि उस वस्तु विशेष की कुल माग कितनी है और छोटे उद्योग उसे कहा तक अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं। बडे उद्योग पर उपकर लगाकर छोटे उद्योग को सुदृढ बनने के लिए समय और अवसर दिया जा सकता है, परन्तु ऐसा करते समय हर उद्योग की सामर्थ्य पर दृष्टि रखना अत्यावश्यक है।

प्रश्न—कारखानो से स्पर्धा के अतिरिक्त, कुटीर उद्योगो और छोटे उद्योगों को किन कठिनाइयो का सामना करना पडता है और उन्हें दूर करने के क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर—कुटीर उद्योगो और छोटे उद्योगो की कठिनाइया सक्षेप में ये है कि उन्हें टेक्नीकल और आर्थिक सहायता नही मिलती तथा उनके पास मरम्मत और रख-रखाव आदि तथा खरीदने और बेचने की उचित सुविधाएं नही हैं।

ग्राम और लघु उद्योग समिति की रिपोर्ट तथा १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्न उपायों की सिफारिश की गई है :—

(१) विकेन्द्रित क्षेत्र की सगठन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक सहकारी समितिया (सभरण और हाट-व्यवस्था तथा उत्पादक सहकारी सस्थाए दोनो) बनाई जाए,

(२) ऋण देने की सुविधाए बढाई जाए जिन्हें विशेष रूप से रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और राज्य वित्त निगम प्रदान करे,

(३) जहा सम्भव हो, वहा पावर (बिजली) लगाई जाए, तथा

(४) औद्योगिक बस्तिया तथा ग्राम सामुदायिक कारखाने स्थापित किए जाए जो अन्तत औद्योगिक उन्नति के केन्द्र-स्थल बन जाए।

दूसरी योजना की अवधि में छोटे उद्योगों के लिए सेवा सस्थानों की सख्या ४ से बढाकर २० कर देने का निश्चय किया गया है। इससे और अधिक टेक्नीकल सहायता प्रदान की जा सकेगी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भी किस्त-खरीद आधार पर मशीनें खरीदने तथा क्रयादेश प्राप्त करने आदि सम्बन्धी योजनाए शुरू करके सहायता प्रदान करेगा।

प्रश्न—योजना में ग्राम उद्योगों और छोटे उद्योगों के लिए २०० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें से कितना-कितना धन विभिन्न काम-धधों के लिए रखा गया है ?

उत्तर—यह विभाजन इस प्रकार होगा —

उद्योग	परिव्यय (करोड रुपयों में)
१. हथकरघा —	५९ ५
२. खादी (अम्बर चरखा कार्यक्रम को छोडकर) —	१६ ७

३ ग्राम उद्योग	३८·८
४ दस्तकारियां	६ ०
५. रेशम कीट पालन	६ ०
६. नारियल जटा की कताई-बुनाई	१ ०
७. छोटे उद्योग	५५ ०
८. सामान्य कार्यक्रम	१५ ०
जोड़	२०० ०

अध्याय ६

परिवहन और संचार

प्रश्न––योजना पर जितना खर्च होगा, उसका लगभग २६ प्रतिशत परिवहन और संचार के लिए रखा गया है। योजना में इस कार्यक्रम को इतना महत्व क्यों दिया गया है और यह व्यय किस प्रकार किया जाएगा ?

उत्तर––विश्वयुद्ध और देश के विभाजन के फलस्वरूप हमारी परिवहन व्यवस्था पर काफी दबाव पैदा हो गया था। अब देश में जो बहुत-से नए आर्थिक विकास के कार्यक्रम चालू हैं, उनके कारण भी उस पर उत्तरोत्तर दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी योजना की अवधि में विकास कार्यक्रम बहुत बढ़ जाएंगे और यदि समुचित परिवहन, विशेषकर रेल परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध न की गईं तो ये कार्यक्रम खटाई में पड़ जाएंगे। यही कारण है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परिवहन विकास के कार्यक्रमों के लिए इतना अधिक धन निर्धारित किया गया है। स्थिति तो यह है कि यदि इससे भी अधिक धन हो तो उसका भी सदुपयोग किया जा सकता है।

परिवहन और संचार के लिए निर्धारित १,३८५ करोड़ रुपए में से, ९०० करोड़ रुपए केवल रेलों पर, २६६ करोड़ रुपए सड़कों और सड़क परिवहन पर, १०० करोड़ रुपए जहाजरानी तथा बन्दरगाहों पर,

४३ करोड रुपए नागरिक (सिविल) उड्डयन पर, तथा ७६ करोड रुपए सचार तथा प्रसारण पर व्यय किए जाएगे। योजना मे रेलो के लिए निर्धारित ९०० करोड रुपए की धनराशि के अतिरिक्त भी २२५ करोड रुपए वर्तमान सामान के बदलने के लिए व्यय किए जाएगे।

प्रश्न—रेल कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है ?

उत्तर—पहली योजना की अवधि मे रेलो की चल और अचल सम्पत्ति के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के जो कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे, उन्हें दूसरी पचवर्षीय योजना में भी चालू रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, ज्यो-ज्यो उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और नए कार्यक्रम शुरू होते जाएगे, रेलो को और अधिक माल आदि ढोना पडेगा। इसके अतिरिक्त, दबाव का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि नई पटरिया बिछाई जाए और रेल डिब्बो और इजनो मे बडी मात्रा में वृद्धि की जाए। १९५५-५६ मे रेलो ने १ अरब १४ करोड टन माल ढोया था। अब अनुमान है कि १९६०-६१ में उन्हें १ अरब ८० करोड टन माल ढोना पडेगा। यह अनुभव किया जा रहा है कि रेलो के लिए जितनी धनराशि निर्धारित की गई है, उससे रेले यातायात के पूरे भार को वहन करने मे समर्थ नही हो सकेगी और हो सकता है जो सुविधाए प्रदान की गई है उनसे काम न चले।

रेलो के कार्यक्रम में अन्य कार्यों के साथ-साथ ८४२ मील लम्बी नई लाइनें बनाने, १,६०७ मील लम्बी लाइन को दुहरा करने, ८,००० मील लम्बी पुरानी लाइनो को फिर से चालू करने, २,२५८ रेल इजन ११,३६४ यात्री डिब्बे और १,०७,२४७ माल डिब्बे बनाने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ८२६ मील लम्बी लाइनो पर बिजली से चलने वाली रेल गाडिया चलाने और १,२६३ मील लम्बी लाइनों पर डीज़ल रेल गाडिया चलाने की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान रेल कारखानो में सुधार करने, मशीनो और मशीनों की मरम्मत करने

तथा नई इकाइया स्थापित करने के लिए भी काफी धनराशि की व्यवस्था की गई है। यात्रियो और रेलवे कर्मचारियो को कुछ और सुविधाए भी प्रदान की जाएगी।

प्रश्न—देशी उत्पादन से रेल के इजनो, यात्री डिब्बो तथा माल डिब्बो की आवश्यकता कहा तक पूरी हो सकेगी?

उत्तर—पहली योजना की अवधि में जितने रेल इजन, सवारी डिब्बे और माल डिब्बे आदि प्राप्त करने का विचार है, उनमें से आशा है कि १,७५० इजन, सारे सवारी डिब्बे और १,००,५२२ माल डिब्बे देशी साधनो से ही उपलब्ध हो जाएगे। इस प्रकार इस अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रगति की जा रही है।

रेल इजन बनाने का काम चित्तरजन कारखाने मे तथा टाटा लोकोमोटिव एण्ड इजीनियरिंग कम्पनी (टेल्को) में होता है। चित्तरजन कारखाने ने १९५५-५६ मे १२९ रेल इजन बनाए। इसकी तुलना मे द्वितीय योजना के अन्त तक प्रति वर्ष ३०० इजन तक उत्पादन बढाने के लिए इस कारखाने के लिए ५ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी बीच आशा है कि टाटा कारखाना भी ४० के बजाय १०० छोटी लाइन के इजन तैयार करने लगेगा। जहा तक सवारी डिब्बो का सम्बन्ध है, पैराम्बर-स्थित इन्टेगरल कोच फैक्टरी योजनाकाल में प्रति वर्ष बडी लाइन के २०० डिब्बे और अन्त मे साज-सामान से लैस ३५० डिब्बे तैयार करने लगेगी। इसके अतिरिक्त, छोटी लाइन के सवारी डिब्बे बनाने का एक नया कारखाना भी कायम किया जाएगा। आशा है कि १९६०-६१ तक सवारी डिब्बो की उत्पादन सख्या १,२६० से बढकर १,८०० प्रतिवर्ष और माल डिब्बो की १४,००० से बढकर २५,००० प्रतिवर्ष हो जाएगी।

प्रश्न—रेल यात्रा को अधिक आरामदेह बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर—योजनाकाल मे सवारी गाडियो मे ३ प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात कुल मिलाकर १५ प्रतिवर्ष वृद्धि हो जाएगी। फिर भी इससे सवारी गाडियो में भीड-भाड कम नही होगी, क्योकि गाडियो से यात्रा करने वाले लोगो की सख्या तीव्र गति से बढती जा रही है ।

यात्रियो को सुविधाए देने के कार्यों के अन्तर्गत एक तो रेलवे स्टेशनो का पुनर्निर्माण किया जाएगा जिससे कि यात्रियो के लिए विश्राम गृह, प्रतीक्षा गृह, जलपान गृह और दुकानें आदि उपलब्ध की जा सकें। इसके अतिरिक्त, प्लेटफार्मों को चौडा, ऊचा और लम्बा बनाया जाएगा तथा पुल बनाए जाएगे। स्टेशनो पर अच्छे शौचालय, स्नान गृह और पानी की समुचित व्यवस्था तथा प्रतीक्षा गृहो में बिजली और बिजली के पखे, तथा बढिया सवारी डिब्बे उपलब्ध करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। कुछ जनता एक्सप्रेस गाडिया भी, जिनमें तीन वातानुकूलित हैं, चालू की गई हैं जिससे लम्बी यात्रा सस्ती, जल्दी और आराम से पूरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त अब सब श्रेणियो के यात्री डाइनिग कारो (भोजन डिब्बो) और विश्राम गृहो का प्रयोग कर सकते हैं ।

यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओ के विवरण तथा कार्यक्रमो की प्राथमिकता, रेल उपभोक्ता सलाहकार समितियों के साथ सलाह करके ही निश्चित की जाती है ।

प्रश्न—सडको का विकास करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

उत्तर—सडके केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर बनाती हैं। राष्ट्रीय पथ अथवा सडको के लिए सीधे केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेवार

है। राष्ट्रीय सडकों के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम में कुछ अन्य सडकों, जैसे पासी-बदरपुर सडक, पश्चिमी तटवर्ती एक सडक, और पठानकोट तथा ऊधमपुर के बीच एक दूसरी सडक का विकास करने की भी व्यवस्था सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के इस कार्यक्रम मे अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सडकों का विकास करने के लिए भी राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था है।

निम्न तालिका मे पहली योजना में आरम्भ किए गए कार्यों का दूसरी योजना मे चालू रखने के अतिरिक्त, उन सडकों के कार्यक्रम का विवरण दिया गया है जिसकी जिम्मेदारी केन्द्र के ऊपर है —

(१) राष्ट्रीय सडकें

(क) परस्पर सडकें मिलाने के लिए निर्माण कार्य	६०० मील
(ख) वर्तमान सडकों में सुधार करना या उन्हें चौडा करना	८००० मील
(ग) बडे पुल	६०

(२) चुनी हुई सडकें

(क) नई सडकें	१५० मील
(ख) वर्तमान सडकों मे सुधार	५०० मील

(३) अन्तर्राष्ट्रीय सडकें और सीमान्त तथा पहाडी क्षेत्रों में सडकें बनाने के विशिष्ट कार्यक्रम

(क) नई सडकें	१००० मील
(ख) वर्तमान सडकों में सुधार	२,००० मील

राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य की सडकें तथा गावों की सडकें बनाने के लिए स्वय उत्तरदायी है। दूसरी योजना की अवधि में राज्यों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग १८,००० मील लम्बी कच्ची सडकें बनाई जाएगी। इस कार्यक्रम मे पिछडे प्रदेशो पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

गावो में सडकें बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने मील लम्बी सडके बनाई जाएगी, इसका सही अनुमान लगाना तो कठिन है परन्तु इस कार्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य सस्थाओ से काफी सहायता मिलेगी।

प्रश्न—योजना में जहाजरानी के विकास से सम्बन्धित मुख्य लक्ष्य क्या है ? इस नीति को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा ?

उत्तर—जहाजरानी के क्षेत्र में जो लक्ष्य रखें गए है उनमें से एक तो यह है कि तटीय व्यापार की सब आवश्यकताओ का पूरा किया जाए, और ऐसा करते हुए रेलो के कुछ यातायात को तटीय जहाजरानी की ओर माड दिया जाए, दूसरे, टैकर बेडा तैयार किया जाए, और तीसरे, धीरे धीरे देश के विदेशी व्यापार का हिस्सा भारतीय जहाजो का दिलाया जाए।

१९५५-५६ में तटीय जहाजो की भारवहन क्षमता ३,१२,००० टन थी। प्रस्ताव है कि तटीय व्यापार की सब आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए जहाजो की भारवहन क्षमता ४,१२,००० टन तक बढा दी जाए। आशा है कि टैकर बेडे की भारवहन क्षमता भी ६,००० टन से बढकर २३,००० टन हो जाएगी। विचार है कि योजनाकाल में कुल मिलाकर भारतीय जहाजो की भारवहन क्षमता लगभग ९,००,००० टन अर्थात पहली पचवर्षीय योजना के अन्त तक की भारवहन क्षमता से दुगनी कर दी जाए। इससे भारतीय जहाज देश के समुद्री व्यापार का करीब १२ से १५ प्रतिशत और निकटस्थ देशो के साथ व्यापार का ५० प्रतिशत काम सभालने में समर्थ हो जाएगे। किन्तु जहाजो के मूल्य बढ जाने के कारण वर्तमान साधनो से हमारे जहाजो की भारवहन क्षमता केवल १,८०,००० टन ही और बढाई जा सकेगी।

जहाजरानी का विस्तार करने के कार्यक्रम के लिए ३७ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें से करीब २० करोड रुपए ईस्टर्न

'शिपिंग कारपोरेशन तथा एक नई कारपोरेशन पर (जो पश्चिम एशिया के लिए जहाज चलाएगी) खर्च किया जाएगा। बची हुई धनराशि में से निजी जहाजी कम्पनियों को सहायता दी जाएगी।

प्रश्न—योजना में बन्दरगाहों का आधुनिकीकरण करने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम क्या है?

उत्तर—संक्षेप में उद्देश्य यह है कि गोदियों का आधुनिकीकरण करके उन्हें आवश्यक सामान से लैस किया जाए, जिससे देश में होने वाले विकास के कारण बढे हुए व्यापार को संभाला जा सके। आशा है कि दूसरी योजना के पांच वर्षों में आयात और निर्यात व्यापार को संभालने में बड़े बन्दरगाहों की सामर्थ्य प्रतिवर्ष २ करोड ५० लाख टन से बढकर ३ करोड २५ लाख टन हो जाएगी।

बम्बई में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रिंस और विक्टोरिया गोदियों का विकास किया जाएगा ताकि हर ऋतु में उनमें जहाज आ-जा सकें। इसके अतिरिक्त मिट्टी निकालकर गहराई बनाए रखने तथा मरम्मत करने के लिए दो अन्य बन्दरगाह भी बनाए जाएंगे। कलकत्ते में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किदरपुर और किंग जार्ज गोदियों का विकास किया जाएगा, तथा किदरपुर गोदी की घाट-दीवारों को मजबूत करने के अतिरिक्त, फल्टा प्वाइंट रीच पर नदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे। फ्लोटिंग क्राफ्ट के लिए भी काफी मात्रा में धन की व्यवस्था की गई है।

मद्रास में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्द्र गोदी योजना का पहला चरण शामिल है। इसके अतिरिक्त तेल गोदी, योजना बन्दरगाही उपकरण तथा फ्लोटिंग क्राफ्ट पर व्यय किया जाएगा। कोचीन में तीन बर्थ बनाने और ४ अतिरिक्त घाट बनाने की व्यवस्था की गई है। कडला बन्दरगाह में भी, जो तेजी से विकसित हो रही है, दो नई जेटियां बनाई जाएंगी। ये जेटियां अभी हाल में बनाई गई चार जेटियों के अतिरिक्त होंगी। स्मरण रहे कि कडला

बन्दरगाह का विकास इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि जो व्यापार पहले कराची बन्दरगाह के मार्ग से हुआ करता था, वह इस बन्दरगाह से होने लगे। विस्थापित व्यक्तियों के नगर गाधीधाम का भी और विकास किया जाएगा। विशाखापत्तनम में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वहा से तेल साफ करने के कारखाने के लिए तेल उतारने-लादने के दो घाटों के बनाने, फ्लोटिंग क्राफ्ट तथा वर्तमान घाटो पर माल लाने-ले जाने, अन्य उपकरण खरीदने तथा खनिज लोह तथा अन्य सामान के निर्यात का सुविधाजनक बनाने के लिए दो नए घाट तैयार करने की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न—असैनिक (सिविल) उड्डयन कार्यक्रम के दो अंग हैं—हवाई अड्डे बनाना और अन्य आवश्यक सुविधाओं का प्रबन्ध करना तथा हवाई सेवाओं को विकसित करना। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर—जहा तक हवाई अड्डो का सम्बन्ध है, योजना के कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि राज्यो की सब राजधानियो और दूसरे मुख्य नगरो मे हवाई जहाज आने-जाने लगें। इस समय असैनिक उड्डयन विभाग के अधीन ८१ हवाई अड्डे हैं। पहली योजना की अवधि में नौ नए हवाई अड्डे बनाए गए थे और दो शुरू किए गए थे, जो अब पूरे होने वाले हैं। दूसरी योजना में ८ और हवाई अड्डे तथा ग्लाइडर अड्डे बनाने का विचार है। एक व्यापक निर्माण कार्यक्रम भी आरम्भ करना है जिसके अन्तर्गत उड्डयन मार्गों (रनवे), हैंगरो, टेक्नीकल इमारतो, तथा भूमि पर प्रकाश का प्रबन्ध और दूर सचार तथा अन्य आवश्यक उपकरणो की व्यवस्था की जाएगी।

१९५३ में वायु सेवाओ का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था ताकि उनमें योजनानुसार विकास किया जा सके। इस उद्देश्य से इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन और एयर-इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना क्रमशः

अन्तर्देशीय तथा वैदेशिक उड्डयन के लिए की गई। ये कारपोरेशन अपनी सेवाओं तथा सगठनों को सुदृढ बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इडियन एयर-लाइन्स के जहाजो का आधुनिकीकरण करने के लिए भी योजना में व्यवस्था की गई है। इस कारपोरेशन ने पहली योजना की अवधि में पाच वाइकाउण्ट हवाई जहाजो का आर्डर दिया था और अब पाच और हवाई जहाजो का आर्डर दिया गया है। वैदेशिक सेवाओं के लिए कुछ टर्बो-प्राप या जेट विमान खरीदे जाएगे। दोनो कारपोरेशनो के कार्यक्रमों के लिए योजना में ३०.५ करोड रुपए की व्यवस्था है।

प्रश्न—डाक और तार विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या देहाती क्षेत्रो की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया गया है ?

उत्तर—हा। डाक सुविधाओं का विस्तार करते हुए देहाती क्षेत्रो की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। पहली योजना में लक्ष्य यह था कि दो मील के घेरे मे बसने वाले गावो के प्रत्येक समूह के लिए, जिनकी कुल जनसख्या २,००० के लगभग हो, एक डाकखाना खोला जाए, बशर्ते कि इसमे ७५० रुपए से अधिक वार्षिक हानि न हो और तीन मील के घेरे के अन्दर कोई डाकखाना न हो। दूसरी योजना मे यह नीति उन गावो के लिए भी लागू होगी जो चार मील के घेरे में बसे हुए हैं और जिनकी जनसख्या २,००० के करीब है अर्थात् जो विरल जनसख्या वाले क्षेत्र हैं। इस बात की भी कोशिश की जाएगी कि डाक का वितरण पहले की अपेक्षा अधिक बार हो सके।

तार व्यवस्था कार्यक्रम का यह भी उद्देश्य है कि इस सेवा को छोटी-छोटी दूरियो के बीच अर्थात् देश में हर पाच मील की दूरियो पर उपलब्ध किया जा सके। गावो के प्रत्येक प्रशासन केन्द्र में डाक और तार कार्यालय स्थापित किए जाएगे।

प्रश्न—प्रसारण कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

उत्तर—पहली योजना की अवधि में प्रत्येक भारतीय भाषा के लिए कम से कम एक सम्प्रेषण केन्द्र (ट्रांसमीशन स्टेशन) स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें पूरी सफलता मिली है। इसके फलस्वरूप, दूसरी योजना में नए केन्द्र खोलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इन उपलब्ध सेवाओं को यथासम्भव अधिक क्षेत्रों में फैलाना।

यह काम मीडियम वेव और शार्ट वेव सम्प्रेषण यन्त्रों का उचित सामंजस्य करके ही पूरा किया जा सकता है। देश में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए तथा राष्ट्रीय प्रसारणों को हर केन्द्र से एक साथ प्रसारित करने के लिए दिल्ली में एक १०० किलोवाट का शार्ट वेव ट्रांसमीटर और १०० किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर स्थापित किया जाएगा। वैदेशिक सेवाओं को पुष्ट करने के लिए भी दिल्ली में दो १०० किलोवाट के शार्ट वेव ट्रांसमीटर और बम्बई, कलकत्ता, तथा मद्रास में ५० किलोवाट शार्ट वेव के ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएंगे। देहाती भाइयों के लिए रेडियो सुनने की सुविधाओं में भी पर्याप्त वृद्धि की जाएगी और दूसरी योजना की अवधि में लगभग ६०,००० पंचायती रेडियो लगाए जाएंगे।

इन सब कार्यक्रमों के लिए योजना में ६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

अध्याय १०

शिक्षा

प्रश्न—योजना में शिक्षा के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है? उसके परिणामस्वरूप शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं कितनी बढ जाएगी?

उत्तर—योजना मे शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमो के लिए ३०७ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें से ९५ करोड रुपए केन्द्र द्वारा और २१२ करोड रुपए राज्य सरकारो द्वारा व्यय किए जाएगे। यह व्यय केवल नई शिक्षा सस्थाओ तथा वर्तमान शिक्षा सस्थाओं के विस्तार पर किया जाएगा, और पहली योजना की अवधि में आरम्भ की गई योजनाए इसमे सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई धनराशि में से १२ करोड रुपए से अधिक सामान्य शिक्षा के लिए तथा लगभग १० करोड रुपए सामाजिक शिक्षा के लिए है। विकास के विविध क्षेत्रो जैसे कृषि स्वास्थ्य, विस्थापित व्यक्तियो का पुनर्वास और पिछडे वर्गों के कल्याण आदि के कार्यक्रमो मे भी शिक्षा सुविधाए बढाने की व्यवस्था है।

सक्षेप में, दूसरी योजना के शिक्षा सम्बन्धी मुख्य लक्ष्य इस प्रकार है —

(१) ६–११ वय वर्ग के ६३ प्रतिशत बच्चो की पढाई की व्यवस्था करना। १९५५-५६ में यह सख्या ५१ प्रतिशत थी।

(२) ११–१४ वय वर्ग के २३ प्रतिशत बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना। १९५५-५६ में यह संख्या १६ प्रतिशत थी।

(३) १४–१७ वय वर्ग के १२ प्रतिशत बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना। १९५५-५६ में यह संख्या ९ प्रतिशत थी।

विश्वविद्यालयीय शिक्षा के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में समस्या वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की है न कि विस्तार करने की।

प्रश्न—वर्तमान शिक्षा पद्धति की काफी आलोचना हुई है। इसको सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं?

उत्तर—शिक्षा पद्धति का एक मुख्य दोष यह है कि उसमें बौद्धिक और सैद्धांतिक बातों पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाता है जिससे बच्चे की प्रतिभा का स्वतन्त्र रूप से विकास नहीं हो पाता। इसलिए योजना आयोग ने पहली योजना में प्रस्ताव रखा था कि प्राइमरी स्कूलों को धीरे-धीरे बेसिक स्कूलों में बदल दिया जाए जिससे सामाजिक दृष्टि से उपयोगी शिल्पों द्वारा शिक्षा देकर बच्चों के मस्तिष्क, मन और हाथों को शिक्षित किया जा सके। १९५५-५६ में इस प्रकार के ४१,९८८ स्कूल (उत्तर प्रदेश के ३१,८८९ बेसिक प्राइमरी स्कूलों को मिलाकर) थे। दूसरी योजना में ३३,४०० अतिरिक्त स्कूल खोलने का लक्ष्य है।

माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा में अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिल्पों तथा विविध पाठ्यक्रमों का समावेश किया जाएगा और वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा के लिए और भी सुविधाएं दी जाएंगी तथा अधिक टेक्नीकल स्कूल खोले जाएंगे। ये उपाय इस दृष्टि से किए जा रहे हैं ताकि नवयुवकों को अर्धकुशल कारीगरों के रूप में नौकरी पाने या अपने छोटे-छोटे कारोबार शुरू करने

के अवसर मिले। इससे एक तो मैट्रिक पास लड़को में बेरोजगारी कम हो जाएगी, और दूसरे, आर्ट कालेजों मे प्रवेश पाने के लिए छात्रों की संख्या घट जाएगी।

विश्वविद्यालयो में दी जाने वाली शिक्षा में सुधार करने के लिए प्रस्ताव है कि डिग्री कोर्स तीन साल का बना दिया जाए, ट्यूटोरियल तथा अध्ययन गोष्ठियो का सगठन किया जाए, इमारतो, प्रयोगशालाओ तथा पुस्तकालयो में सुधार किया जाए, छात्रावासो तथा छात्रवृत्तियो की सुविधाए उपलब्ध की जाए तथा विश्वविद्यालयो में पढने वाले अध्यापकों को अच्छे वेतन दिए जाए। इनके अतिरिक्त, दूसरी योजना मे १० देहाती सस्थान खोले जाएगे, जिनमें उच्च शिक्षा तथा शोध कार्य की, विशेषरूप से ग्राम सम्बन्धी विषयो का अध्ययन करने की सुविधाए उपलब्ध की जाएगी। इस प्रकार गावों में विकास कार्य के लिए कर्मचारियो को प्रशिक्षण भी दिया जा सकेगा।

प्रश्न—देश में टेकनीकल ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की माग दिनोदिन बढती जा रही है। इसे पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है?

उत्तर—दूसरी योजना में इजीनियरी शिक्षा के लिए काफी सुविधाए बढाई जाएगी, और इसके लिए ५३ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। अखिल भारत टेकनीकल शिक्षा परिषद् ने जिन चार उच्च टेकनालाजिकल सस्थानो की स्थापना करने की सिफारिश की थी, उनमें से एक कुछ साल पहले इडियन इस्टीट्यूट आफ टेकनालाजी के नाम से खडगपुर मे खोला जा चुका है। दूसरी योजना में इस सस्थान का विकास किया जाएगा और शेष तीनो सस्थान निश्चित कार्यक्रम के अनुसार देश के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में अर्थात बम्बई, कानपुर और मद्रास मे खोले जाएगे। इसके अतिरिक्त, डिग्री स्तर के छ सस्थान और डिप्लोमा स्तर के ? १ सस्थान खोले जाएगे।

कुछ अन्य योजनाओं के अन्तर्गत दिल्ली पोलीटेकनिक, इंडियन स्कूल आफ साइन्स एण्ड एप्लाइड जियोलाजी, धनबाद, और सेंट्रल इन्स्टीट्यूट फार प्रिंटिंग टेक्नालाजी में प्रशिक्षण की सुविधाए और बढाई जाएगी। वर्तमान टेक्नीकल स्कूलों और कालेजो का विकास करने, नए स्कूल और कालेज खोलने, छात्रवृत्तिया देने, छात्रावास बनाने तथा टेकनीकल शिक्षा देने वाले शिक्षकों के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) चालू करने की भी व्यवस्था की गई है।

आशा है कि इन कार्यक्रमो के कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप १९६०-६१ में इजीनियरी सस्थाए डिग्री पाठ्यक्रम के लिए ८ १२० और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए ११,३०० छात्रो को भर्ती करने मे समर्थ हो जाएगी। १९५५-५६ मे यह सख्या क्रमश ६ ३२० और ८ ३०० थी। जूनियर टेक्नीकल स्कूलों में भर्ती की सख्या भी ५,४०० तक पहुच जानी चाहिए। परन्तु इजीनियरी कर्मचारी समिति का कहना है कि इतना होने पर भी हमारी आवश्यकताए पूरी नहीं होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि डिग्री देने वाली सस्थाओं की सामर्थ्य में २० प्रतिशत और डिप्लोमा देने वाले सस्थानो की सामर्थ्य में २५ प्रतिशत तक वृद्धि कर दी जाए। इस समिति ने इस बात पर भी जोर दिया है कि १८ इजीनियरी कालेज और ६२ नए पोलीटेकनिक स्कूल खोले जाए।

इन योजनाओं के अतिरिक्त, श्रम, रेल, तथा लोहा और इस्पात मत्रालय ने कुशल कर्मचारियों और निरीक्षक अधिकारियों की आवश्यकताए पूरी करने के लिए अपनी अलग-अलग योजनाए बनाई है।

प्रश्न—शिक्षकों के वेतन और उनकी सेवा की दशाओं में सुधार करने के लिए योजना में क्या व्यवस्था की गई है?

उत्तर—स्कूलों में शिक्षा का स्तर निम्न होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि शिक्षकों के वेतन बहुत कम है और उनकी सेवा की दशाए

बहुत असंतोषजनक हैं। प्राइमरी और सैकेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन बढ़ा देने से जो अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा, उसका ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को देना स्वीकार कर लिया है। कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की है।

शिक्षकों की सेवा की दशाओं में सुधार करने के लिए योजना आयोग ने सिफारिश की है कि सभी राज्य अपने प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को उचित सेवा सवर्गों में लाने के सम्बन्ध में विचार करें। इस प्रकार यदि शिक्षकों को स्थानीय संस्थाओं अथवा निजी संस्थाओं में भी काम करने के लिए भेजा गया तो भी उन्हें नौकरी की सुरक्षा, पेन्शन भविष्य निधि (प्राविडेण्ट फण्ड) तथा तरक्की करने आदि की सहूलियतें मिलती रहेंगी। आशा है कि इन उपायों के फलस्वरूप शिक्षा क्षेत्र की ओर प्रतिभाशाली व्यक्ति आकर्षित होने लगेंगे।

प्रश्न—समाज शिक्षा से क्या तात्पर्य है, और योजना में इसका क्या स्थान है ?

उत्तर—प्रौढ़ शिक्षा को यदि लोगों को पढ़ना-लिखना सिखाने तक ही सीमित कर दिया जाए तो इससे जनतान्त्रिक आधार पर सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त नहीं किया जा सकेगा। आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ़ों की आर्थिक स्थिति सुधारने, उन्हें नागरिकता, और स्वास्थ्य के विषय में शिक्षित करने और अवकाश के समय का सदुपयोग करने के उपाय सिखाए जाएं। इसी व्यापक अर्थ में प्रौढ़ शिक्षा को 'समाज शिक्षा' कहते हैं। इसके मायने ये हैं कि सम्मिलित प्रयत्नों द्वारा सामुदायिक विकास का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जाए। इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्थानीय निर्माण कार्यक्रम, कल्याण विस्तार योजना कार्य, सहकारिता आन्दोलन, स्थानीय स्वायत्त शासन तथा भारत

सेवक समाज जैसे स्वयमेवी सगठनो के कायक्रम समाज शिक्षा के ही अग है।

विशिष्ट लक्ष्यो की प्राप्ति के उद्देश्य से बनाए गए कायक्रमो को पूरा करने के लिए योजना मे १५ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमे १० करोड रुपए सामुदायिक विकास कायक्रम के लिए भी है। यह धनराशि साहित्य तथा समाज शिक्षा केन्द्र खोलने, जनता कालेज और पुस्तकालय स्थापित करने, दृश्य-श्रव्य शिक्षा का प्रबन्ध करने और कायकर्ताओ को प्रशिक्षण देने के निमित्त व्यय की जाएगी।

अध्याय ११

स्वास्थ्य

प्रश्न—अस्पतालों की कमी दूर करने के लिए तथा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारी प्राप्त करने के लिए योजना में क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर—नए अस्पताल खोलने और अस्पतालों में अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तथा कर्मचारियों, उपकरणों स्थान सभरण सम्बन्धी सेवाओं में वृद्धि करने के लिए योजना में ४३ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है । इसके परिणामस्वरूप योजनाकाल के अन्त तक चिकित्सा संस्थाओं की संख्या बढकर लगभग १२,६०० और रोगी शय्याओं की संख्या लगभग १ ५५ ००० हो जाएगी । यह वृद्धि १९५५-५६ की तुलना में क्रमश २६ प्रतिशत और २४ प्रतिशत होगी । इसके अतिरिक्त, देहाती क्षेत्रों में ३,००० से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित करने के लिए २३ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है ।

अनुमान है कि भारत में इस समय ७० ००० डाक्टर हैं और १९६०-६१ तक १२,५०० डाक्टर और बन जाएंगे । परन्तु फिर भी हमें कम से कम ९०,००० डाक्टरों की आवश्यकता है । इसलिए योजना आयोग ने सिफारिश की है कि वर्तमान मेडिकल कालेजों में विस्तार किया जाए और कुछ नए कालेज खोले जाएं ।

डाक्टरो की अपेक्षा अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियो की स्थिति और भी अधिक चिन्ताजनक है। प्रशिक्षण की सुविधाए बढा देने के बावजूद भी कर्मचारियो की कितनी कमी रहेगी, यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाएगा –

	१९५५-५६	१९६०-६१	वांछित
उपचारिकाए (सहायक उपचारिकाए तथा प्रसाविकाए)	२२,०००	३१,०००	८०,०००
प्रसाविकाए (मिड वाइफ)	२६,०००	३२,०००	८०,०००
स्वास्थ्य निरीक्षक	८००	२,५००	२०,०००
उपचारिका-दाइया और दाइया	६,०००	४१,०००	८०,०००
स्वास्थ्य सहायक और सफाई निरीक्षक	४,०००	७,०००	२०,०००

प्रश्न—क्या देश में देशी चिकित्सा पद्धति को बढावा दिया जा रहा है ?

उत्तर—देशी चिकित्सा पद्धति की उन्नति करने के लिए योजना मे जो व्यवस्था की गई है, उसमे से एक करोड रुपए केन्द्र द्वारा और ५ ५ करोड रुपए राज्यो द्वारा व्यय किए जाएगे। इस वर्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत जामनगर की स्नातकोत्तर संस्था और शोध केन्द्र को विकसित करने, ५ आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने और १३ वर्तमान महाविद्यालयो को बढाने, १,१०० औषधालय खोलने और २५५ वर्तमान औषधालयो मे सुधार करने की व्यवस्था की गई है। आशा है कि इन योजनाओ से आयुर्वेदिक संस्थाओ मे इतना सुधार हो जाएगा कि व शोध कार्यक्रम आरम्भ करने में समर्थ हो सकेगी।

प्रश्न—राष्ट्रव्यापी आधार पर मलेरिया की रोकथाम किस प्रकार की जाएगी ?

उत्तर—मलेरिया नियत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगग्रस्त क्षेत्रो में कीटाणुनाशक औषधिया छिडकने और रोगियो को देने

का प्रबन्ध किया गया है। राज्यीय स्वास्थ्य विभागों की देखरेख में कुछ मलेरिया नियत्रण इकाइया काम कर रही है। मलेरिया नियत्रण के सब कार्यक्रमों का समन्वय केन्द्र द्वारा किया जाता है। इस दिशा में प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र ने मलेरिया इस्टिट्यूट में व्यवस्था कर रखी है। दिल्ली के डी० डी० टी० कारखाने को, जिसमे उत्पादन १९५५ में आरम्भ हो गया था, बढाकर दुगना किया जा रहा है और आशा है कि १९५८ के अन्त तक केरल के अलवाय नामक स्थान में एक और कारखाना डी० डी० टी० का उत्पादन करने लगेगा।

१९५५-५६ के अन्त मे १६२ मलेरिया नियन्त्रण इकाइया थी। दूसरी योजना में यह सख्या २०० हो जाएगी। योजना के अन्तर्गत मलेरिया निरोधक कार्यक्रम के लिए २८ करोड रुपए रखे गए है। योजना आयोग का विचार है कि इससे पहले कि मलेरिया का मच्छर बहुत फैल जाए और उस पर डी० डी० टी० का कोई प्रभाव न पडे, मलेरिया नियत्रण कार्यक्रम देश भर मे आरम्भ कर दिया जाना चाहिए।

प्रश्न—तपेदिक को रोकने के क्या उपाय किए जा रहे है ?

उत्तर—तपेदिक भारत में प्रतिवर्ष लगभग ५० लाख लोगों को मौत की नीद सुला देता है। इसके प्रकोप को रोकने के लिए पहली योजना मे देश भर में बी० सी० जी० के टीके लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। १९५५-५६ तक ७ करोड से अधिक ऐसे व्यक्तियो की परीक्षा की जा चुकी है और इस सख्या के करीब तिहाई लोगों को टीके लगाए जा चुके है। दूसरी योजना में सुझाव रखा गया है कि २५ साल से कम आयु के उन सभी व्यक्तियों को टीके लगाए जाए जिन्हे तपेदिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, २०० नए चेस्ट क्लिनिक खोले या बढाए जाएगे, मेडिकल कालेजो मे सम्बद्ध २० नए शिक्षा और प्रदर्शन केन्द्र खोले जाएगे और रोगमुक्त होने के बाद रोगी की देखभाल के लिए करीब इतने ही पुनर्वास

केन्द्र खोले जाएंगे। इन सब पर लगभग १४ करोड रुपया व्यय होगा। आशा है कि विभिन्न अस्पतालो आदि मे तपेदिक के रोगियो के लिए करीब ६,००० अधिक शय्याओ का प्रबन्ध कर दिया जाएगा।

प्रश्न—देहाती और शहरी क्षेत्रो में पानी मुहय्या करने के तरीको में सुधार करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर—पानी के द्वारा फैलने वाले रोगो और ऐसी ही अन्य बीमारियो मे लाखो लोगो की जाने चली जाती है और जनता के स्वास्थ्य पर भी इनका बडा बुरा असर पडता है। १९५४ में पानी मुहय्या करने और सफाई का प्रबन्ध करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया था, परन्तु पहली योजना में इसमे कोई विशेष प्रगति नही हो सकी क्योकि उस समय पम्प और पाइप तथा अन्य उपकरण प्राप्त करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इंजीनियरी सेवाए उपलब्ध करने मे बहुत कठिनाइया पेश आई। इन कठिनाइयो को दूर करने के लिए दूसरी योजना में कदम उठाए जाएगे। और शहरो में पानी मुहय्या करने और सफाई का प्रबन्ध करने के लिए अन्दाजी तौर पर ५३ करोड रुपए, गावो में पानी का प्रबन्ध करने के लिए २८ करोड रुपए और जिन नगरो में निगम है, उनके लिए १० करोड रुपए की विशेष व्यवस्था की गई।

प्रश्न—परिवार नियोजन क्यो आवश्यक है, और इस सम्बन्ध में सरकारी कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

उत्तर—परिवार नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योकि देश के पास इतने साधन नही है कि वह अपनी तेजी से बढती हुई जनसख्या के लिए अन्न-वस्त्र का समुचित प्रबन्ध कर सके। इस वृद्धि को रोकने के लिए

परिवार नियोजन की आवश्यकता देश की आम जनता को समझ लेनी चाहिए। माताओं के अच्छे स्वास्थ्य और बच्चों के अच्छे पालन-पोषण दोनों दृष्टियों से भी यह बहुत आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, वे भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अति आवश्यक अंग हैं।

पहली योजना की अवधि में परिवार नियोजन के प्रति जनता में जागृति फैलाने की कोशिश की गई थी। जनता को परामर्श और सहायता देने के निमित्त औषधालय खोले गए थे और मानवीय प्रजनन शक्ति के सम्बन्ध में जीव विद्या और चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी बातों का अध्ययन करने के लिए शोध योजनाएं आरम्भ की गई थीं।

योजना आयोग का विचार है कि अब ऐसी स्थिति आ गई है जब हम इस दिशा में आगे काम कर सकते हैं। इस उद्देश्य से योजना आयोग ने सिफारिश की है कि एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की जाए जो निम्न कार्यक्रम को हाथ में ले —

(१) पारिवारिक जीवन में एक व्यापक शिक्षा योजना का विकास करना जिसमें यौन (सैक्स), शिक्षा विवाह सम्बन्धी परामर्श और बच्चों का दिशा निर्देश करने के कार्यक्रम भी सम्मिलित होंगे,

(२) परिवार नियोजन के लिए परामर्श आदि देने के लिए अतिरिक्त क्लीनिकों की स्थापना करना,

(३) प्रजनन के जीव विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी गवेषणा के अतिरिक्त जनसंख्या की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना,

(४) सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा किए गए काम का निरीक्षण और प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना, और

(५) उपर्युक्त कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना।

दूसरी योजना में परिवार नियोजन के लिए करीब ५ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। आशा है कि करीब ३०० क्लिनिक शहरो में और २,००० क्लिनिक देहाती क्षेत्रो मे स्थापित किए जाएगे।

अध्याय १२

आवास

प्रश्न--भारत के शहरी इलाको में मकानो की कमी के क्या कारण हैं? क्या इस स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है?

उत्तर—एक तो पिछले ३० वर्षो से आबादी बडी तेजी से बढती जा रही है, और दूसरे, ग्रामीण क्षेत्रो से भी बहुत-से लोग रोजगार की खोज में शहरो में आते जा रहे है। इसका नतीजा यह हुआ है कि शहरो मे मकानो की बहुत कमी हो गई हैं। यह स्थिति विश्वयुद्ध के दिनों में और भी बिगड गई थी, क्योकि तब मकान बनाने का काम बहुत सुस्त पड गया था। देश के बटवारे के बाद विस्थापित व्यक्तियों के आगमन के कारण यह समस्या और भी गम्भीर हो गई। पिछले कुछ दिनों से जमीन की कीमतें बढ जाने और इमारती सामान की कमी तथा ऊची कीमतो के कारण स्थिति सुधरने के बजाय बिगडती ही जा रही है।

१९५१ में ६ करोड २० लाख शहरी आबादी के लिए लगभग १ करोड घर थे। उस समय मोटे तौर पर लगभग २५ लाख मकानो की कमी का अन्दाजा लगाया गया था। अनुमान है कि १९६१ तक शहरो की आबादी १९५१ की अपेक्षा एक-तिहाई और बढ जाएगी। अत यदि समुचित उपाय न किए गए तो १९६१ मे मकानो की यह कमी १९५१ की अपेक्षा दुगनी हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षो मे सरकारी और निजी क्षेत्रो में बहुत सी

ग्रावास योजनाएं आरम्भ की गई हैं। इन योजनाओं पर काम करने के बाद जो अनुभव प्राप्त होगा उसके आधार पर ही कुछ वर्ष बाद मकानों की कमी को दूर करने के लिए सम्भवतः कुछ व्यापक गृह निर्माण योजनाएं बनाई जा सकेंगी।

प्रश्न—योजना में ग्रावास कार्यक्रम का क्या महत्व है?

उत्तर—योजना में ग्रावास के लिए कुल १२० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाएगा कि यह धनराशि किस प्रकार व्यय की जाएगी और निर्माण के लक्ष्य क्या हैं—

	लागत (करोड़ रु० में)	लक्ष्य (संख्या)
राजसहायता-प्राप्त औद्योगिक ग्रावास योजना	४५	१२८०००
कम ग्राय वालों के लिए ग्रावास योजना	४०	६८,०००
शहरी ग्रावास योजना	१०	—
गंदी बस्तियों को हटाना और भंगियों के लिए ग्रावास योजना	२०	११०,०००
मध्यम ग्राय वालों के लिए ग्रावास योजना	३	५,०००
बागान ग्रावास योजना	२	११,०००
जोड़	१२०	३,२२,०००

इनमें से कुछ कार्यक्रम तो पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। परन्तु शहरी इलाकों और मध्यम ग्राय वालों के लिए ग्रावास योजनाएं तथा गन्दी बस्तियों को हटाने के कार्यक्रम नए ही हैं। शहरी ग्रावास योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि इस क्षेत्र की समस्या विस्तार की नहीं सुधार की है।

उपर्युक्त आकड़ो के अतिरिक्त, आशा है कि केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्यो तथा स्थानीय संस्थाओ द्वारा हाथ में लिये गए कार्यक्रमो के फलस्वरूप ७,५३,००० मकान आदि और बन जाएगे । इसके अतिरिक्त, आशा है कि जनता स्वय भी लगभग ८,००,००० मकान बना लेगी । इस प्रकार दूसरी योजना की अवधि में सम्भवत १६ लाख मकान बन जाएगे ।

प्रश्न—देहाती इलाको में मकानो की हालत किस प्रकार सुधारी जाएगी ?

उत्तर—देहाती इलाको के ५ करोड ४० लाख मकानो में से अधिकाश मकान ऐसे है जिनकी मरम्मत करने या उनमे काफी सुधार करने की आवश्यकता है । विशेषकर जनता के गरीब वर्गो की आवास समस्या की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना है । प्रस्ताव है कि देहाती क्षेत्रो मे लोग मकान स्वय बनाए और सरकार उन्हे टेकनीकल परामर्श, प्रदर्शन, तथा स्थानीय परिस्थितियों तथा साज-सामान के उपयुक्त नए नक्शो आदि की व्यवस्था करके सहायता दे । योजना आयोग ने सुझाव रखा है कि पिछडे वर्गो और भूमिहीन मजदूरो की सहकारी समितिया बनाई जाए और उन्हे मुफ्त जमीन तथा आर्थिक सहायता दी जाए ।

गृह निर्माण ग्राम पुनर्निर्माण की सामान्य योजना का ही एक अग है इसलिए इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए राज्यों के विकास विभाग और राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा भी सहायता दी जाएगी । केन्द्रीय निर्माण आवास और सभरण मन्त्रालय में एक ग्राम आवास प्रशाखा भी है, जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्माण के उपयुक्त नक्शे तैयार करने और निर्माण के तरीके खोज निकालने की दिशा में कार्य कर रहा है ।

प्रश्न—गन्दी बस्तिया हटाने और भगियो के लिए मकानों का प्रबन्ध करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

उत्तर—गन्दी बस्तियों का हटाना आवास नीति का एक अति आवश्यक अंग है और इस कार्य को नगर योजना कार्य के साथ ही साथ आगे बढाना चाहिए। बडे-बडे शहरो में अभी तक गन्दी बस्तियों की भरमार है। अब तक इन गन्दी बस्तियों को हटाने का काम इसलिए नही किया जा सका है, क्योंकि गन्दी बस्तियों को अपने अधिकार मे लेने से बहुत अधिक कीमत देनी पडती थी और इन बस्तियो में रहने वाले वहा से हटना नही चाहते थे। इसके अतिरिक्त, यह भी आवश्यक है कि नए मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से सहायता दी जाए ताकि उनका किराया कम रखा जा सके। दूसरी योजना में नए कार्यक्रम बनाते समय उपर्युक्त बातो को ध्यान में रखा गया था।

सरकार ने सविधान मे सशोधन करवाकर गन्दी बस्तियों पर कब्जा करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। गन्दी बस्तिया मे रहने वालो का वही या कहीं आस-पास के ही स्थानो पर बसाया जाएगा, जिससे व काम करने के स्थानो से दूर न जा पडें। इसके अतिरिक्त, मकानों का किराया कम रखने के लिए योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि बडे-बडे मकान बनाने के स्थान पर आवश्यक सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाए।

योजना आयोग ने सिफारिश की है कि गन्दी बसतियो का हटाने मे जो खर्च होगा केन्द्रीय सरकार उसका २५ प्रतिशत सहायता के तौर पर और ५० प्रतिशत दीर्घकालीन कर्ज के रूप मे दे। शेष खर्च सम्बन्धित राज्य सरकारें स्वय अपने निजी साधनो से जुटाए।

अधिकाश नगरो की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग मेहतर है इसलिए आशा है कि काफी बडी सख्या में मेहतरों का नए घरो में बसाया जा सकेगा।

अध्याय १३

श्रम

प्रश्न—औद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्ध में योजना में क्या नीति अपनाई गई है ?

उत्तर—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से श्रमिकों के सम्बन्ध में सरकार की नीति यह रही है कि सन्तुष्ट व्यक्ति ही कुशल कार्यकर्ता हो सकता है। इस नीति का पालन करने के लिए श्रमिकों को काम की दशाओं तथा वेतन, सामाजिक सुरक्षा, आवास कल्याण, रोजगार और प्रशिक्षण आदि की अनेक सुविधाएं देने के लिए पग उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त मालिकों और श्रमिकों में विवाद न होने देने तथा विवाद उठने पर उनका फैसला कराने के भी प्रयत्न किए गए हैं।

उपर्युक्त नीति को पहली योजना में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इस नीति का समर्थन करते हुए योजना आयोग ने कहा है कि समाज-वादी समाज की स्थापना करने के उद्देश्य से इस नीति में कुछ आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए। उसका कहना है कि मजदूर यह महसूस करने लगें कि वह भी प्रगतिशील राज्य की स्थापना में अपना योग दे रहा है, और उसे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। योजना आयोग ने ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों, कारीगरों और स्त्री मजदूरों

की समस्याओं की ओर भी ध्यान खींचा है और उनके कष्ट दूर करने के लिए उपाय भी सुझाए हैं।

प्रश्न—योजना में श्रम और श्रमिक कल्याण के लिए २६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह धन किस प्रकार के कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा ?

उत्तर—दूसरी योजना की अवधि में श्रम योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार १८ करोड़ रुपए और राज्य सरकारें ११ करोड़ रुपए खर्च करेंगी। मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं —

१ शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत लगभग २०,००० और व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था की जाएगी। कुशल शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना भी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षकों (इंस्ट्रक्टरों) को प्रशिक्षित करने के लिए भी एक दूसरा संस्थान खोला जाएगा।

२ श्रमिकों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए राज्य कर्मचारी बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि योजना में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है। समाज सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को संगठित कर देने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

३ रोजगार सेवा संगठन का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत किया जाएगा। इसके अन्तर्गत युवकों को रोजगार दिलाने तथा नियोजन केन्द्रों (एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों) में रोजगार खोजने वाले लोगों को सलाह देने की भी व्यवस्था की जाएगी। इन केन्द्रों में विभिन्न उद्योगों के सहयोग से व्यावसायिक परीक्षाओं का भी प्रबन्ध किया जाएगा।

४ अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम संस्थान के कार्यक्षेत्र का विस्तार, प्रशिक्षण सम्बन्धी शिक्षाप्रद चित्र दिखाने के लिए एक छोटी फिल्म यूनिट की स्थापना, श्रमिकों के लिए आवास और शिक्षा की व्यवस्था तथा नए सर्वेक्षण कार्य आदि आते हैं।

अध्याय १४

पिछड़े वर्गों का कल्याण

प्रश्न—क्या योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कोई व्यवस्था की गई है ?

उत्तर—हा, पिछडे वर्गों की आर्थिक और सामाजिक दशा सुधारने के लिए योजना मे अलग कार्यक्रम है। योजना में इसके लिए कुल ९१ करोड रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें से ४७ करोड रुपए अनुसूचित आदिम जातियों के लिए ३.९ करोड रुपए भूतपूर्व अपराधजीवी जातियों के लिए ९.७ करोड रुपए अन्य पिछडे वर्गों के लिए तथा २.९ करोड रुपए प्रशासन के लिए रखे गए हैं।

प्रश्न—पिछडे वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताए किस प्रकार पूरी की जाएगी ?

उत्तर—पिछडे वर्गो के कल्याण के लिए जितने भी कार्यक्रम बनाए गए है उनमे शिक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। उन्हे जीवन मे उन्नति के पर्याप्त अवसर देने के लिए नि शुल्क छात्रावासो का निर्माण, व्यावसायिक और टैकनीकल प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तिया आदि देने की भी व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में योजना मे ३० लाख से भी अधिक वजीफे तथा

छात्रवृत्तिया देने और ६,००० नए स्कूल और छात्रावास खोलने का भी प्रबन्ध किया गया है। इस सुविधाओ के फलस्वरूप पिछडे वर्गों के लोग विभिन्न नौकरियो मे केन्द्र तथा राज्य सरकारो द्वारा दी गई रियायतो का लाभ उठा सकेंगे।

भूतकाल में अनुसूचित जातियो ने अस्पृश्यता के कारण बहुत कष्ट पाए हैं। जून १९५५ से अस्पृश्यता को कानूनन दडनीय अपराध बना दिया गया है। राज्य सरकारो के सुधार कार्यक्रमो के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने भी अनुसूचित जातियो के लिए आवास, जलपूर्ति और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए है।

आदिम जातियो की अपनी सस्कृति और परम्पराए है अत उन्हे उनकी सस्थाओ के माध्यम से ही सहायता देनी चाहिए ताकि उनकी भावनाओ को ठेस न पहुचे। आदिम जातियो के लिए बनाए गए विकास कार्यक्रमो को चार वर्गो मे विभाजित किया जा सकता है—अच्छे सचार साधन, शिक्षा तथा सस्कृति सम्बन्धी सुविधाए, उनकी अर्थ-व्यवस्था मे तथा स्वास्थ्य, आवास और जलपूर्ति की सुविधाओ मे सुधार। आदिम जातियो की सहकारी समितिया बनाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

भूतपूर्व अपराधजीवी जातियो के सम्बन्ध में चेष्टा यह की जा रही है कि उनमे सुव्यवस्थित सामुदायिक जीवन बिताने की आदत डाली जाए और उनके बच्चो को पुरानी समाज-विरोधी बातो से दूर रखा जाए।

अध्याय १५

समाज कल्याण और पुनर्वास

प्रश्न—समाज कल्याण के क्षेत्र में मुख्य सगठित कार्यक्रमो के विषय में आप क्या जानते है ?

उत्तर—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जिसकी शाखाएं विभिन्न राज्यों में भी हैं, प्रथम योजना में इस उद्देश्य से बनाया गया था कि स्त्रिया, बच्चों तथा असमर्थ लोगो के लिए कल्याण कार्यक्रमो को सगठित करने में जो लोग स्वेच्छा से काम कर रहे हैं वह उनकी सहायता करे। इसके अतिरिक्त, इस बोर्ड ने कल्याण विस्तार कार्यक्रम की एक योजना को भी आरम्भ किया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो मे स्त्रियो और बच्चो के लिए कल्याण सेवाओं को सगठित करना है।

दूसरी पचवर्षीय योजना की अवधि मे एक एक जिले मे इस प्रकार के चार कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है। स्मरण रहे इस समय एक जिले में केवल एक ही कार्यक्रम चल रहा है। इस तरह ५०,००० गावो में कुल मिलाकर १,३२० कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम का एक अन्य उद्देश्य है परिवार कल्याण सेवाओं का विस्तार करना (जिसके अन्तर्गत निम्न मध्यम वर्ग के परिवारो की स्त्रियों को घर पर ही काम दिलाया जाएगा), तथा वेश्यावृत्ति से छुटकारा

दिलाई हुई स्त्रियों के लिए आश्रमों आदि का प्रबन्ध करना और सुधारक तथा अन्य संस्थाओं से निकले व्यक्तियों की देखभाल करना।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय युवक कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देता रहा है। इन कार्यक्रमों में युवक शिविर तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजना भी सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय अनुशासन योजना को पुनर्वास मन्त्रालय का सहयोग भी प्राप्त है। दूसरी योजना के अन्तर्गत ग्वालियर में एक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज खोला गया है। यह मन्त्रालय युवक कल्याण कार्यों में लगे हुए कई संगठनों को आर्थिक सहायता भी दे रहा है। इन मन्त्रालय के कार्यक्रमों में शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से असमर्थ लोगों को भी शिक्षा, प्रशिक्षण, तथा रोजगार देने की व्यवस्था की गई है।

बाल अपराधों और भिक्षावृत्ति का निवारण करने तथा जेलों में कल्याण सेवाओं को आरम्भ करने के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय सरकार ने कार्यक्रम बनाए हैं। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे मद्यनिषेध के कार्यक्रम बनाकर उन्हें इस तरह लागू करें ताकि संविधान में निर्धारित की गई मद्यनिषेध नीति को समय के अन्दर कार्यान्वित किया जा सके।

प्रश्न—विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या कार्य अभी किए जाने हैं? उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

उत्तर—पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास कार्यक्रम का काफी बड़ा हिस्सा पहली योजना के अन्त तक पूरा हो चुका था। फिर भी दूसरी योजना में स्वीकृत आवास योजनाओं को पूरा करने, प्रशिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था करने तथा नए उपनगरों में उद्योगों को उन्नत करके बेरोजगारी दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं तथा मुआवजा योजना को भी लागू किया जा रहा है।

पूर्वी पाकिस्तान से निरन्तर आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के कारण पूर्वी राज्यों में विस्थापितों को बसाने की बड़ी गम्भीर समस्या उठ खड़ी